



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941

No. 1539]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

का.आ. 1731 (अ).— केन्द्रीय सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार और अन्य सामाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 9 और धारा 13 ग के अधीन, तत्कालीन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्रमशः का.आ. 641(अ) और का.आ. 642(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1994 के द्वारा पत्रकारों और गैर पत्रकार समाचार पत्र कर्मचारियों और समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिए मजदूरी की दरें नियत या पुनरीक्षित करने हेतु दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया था;

और, उक्त वेतन बोर्डों ने अपनी सिफारिशें (मनीसाना वेतन बोर्ड सिफारिशें) 25 जुलाई, 2000 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दीं; और उक्त रिपोर्ट के “भाग तीन” में यथा-अन्तर्विष्ट उक्त सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दो आदेश, उक्त रिपोर्ट के “भाग तीन” में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के साथ, अधिसूचना संख्या का.आ. 1086(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2000 के द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ.1125(अ), तारीख 15 दिसम्बर, 2000 के द्वारा संशोधित की गयी थी (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त दो अधिसूचनाएं कहा गया है);

और, दो अधिसूचनाओं को क्रमशः कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अपने तारीख 01 फरवरी, 2006 के आदेश के द्वारा और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपने तारीख 21 नवम्बर, 2006 के आदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया;

और, 2010 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5226 में (श्री अच्युत राव एवं अन्य बनाम भारत संघ, मनीसाना वेतन बोर्ड और मणिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड में) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिनांक 21 जनवरी, 2011 के अपने आदेश द्वारा यह बात नोट कर लेने के पश्चात रिट याचिका का निपटान कर दिया कि मणिपाल मीडिया नेटवर्क लिमिटेड अपने कर्मचारियों के मामले में मनीसाना वेतन बोर्ड के अधिनिर्णय को कार्यान्वित करने के प्रति सहमत है;

और, केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त दो अधिसूचनाओं को अधिकांत करते हुए, मजीठिया वेतन बोर्ड की सिफारिशें अधिसूचना संख्या का.आ. 2532(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 2011 के द्वारा अधिसूचित कर दीं;

और, मामला इस प्रकार था कि स्टेटस्मैन मजदूर यूनियन ने केन्द्रीय सरकार को उक्त दोनों अधिसूचनाएं पुनः अधिसूचित करने का निदेश देने हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई रिट याचिका 2014 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6319 दायर कर दी;

और, दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस निदेश के साथ तारीख 6 जुलाई, 2018 के अपने निर्णय द्वारा 2014 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 6319 का निपटान कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का तारीख 01 फरवरी, 2006 का निर्णय, 2010 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 5226 में श्री अच्युत राव एवं अन्य बनाम भारत संघ में पारित उक्त उच्च न्यायालय के तारीख 21 जनवरी, 2011 के उत्तरवर्ती आदेश को देखते हुए बचा नहीं रहा; और आगे केन्द्रीय सरकार को स्टेटस्मैन मजदूर यूनियन के अभ्यावेदन को उक्त अधिनियम के अधीन अधिकथित विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् निपटाए जाने का निर्देश दिया;

और, दिनांक 6 जुलाई, 2018 के उक्त आदेश के विरुद्ध स्टेटस्मैन लिमिटेड द्वारा 2018 की लेटर्स पेटेण्ट अपील संख्या 549 दाखिल की गई; और उक्त लेटर्स पेटेण्ट अपील का निपटान करते समय, दिल्ली उच्च न्यायालय के डिविजन बैंच ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह टिप्पणी की कि मजीठिया मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का कार्यान्वयन मनीसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को समाप्त नहीं करता तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में कोई सीमा नहीं है;

और, उक्त लेटर्स पेटेण्ट अपील में दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मनीसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों में आवश्यक उपांतरणों के साथ उक्त दो अधिसूचनाओं को आमेलित करते हुए एक आदेश करने का प्रस्ताव करती है जो उसकी राय में उक्त सिफारिशों की विशेषता में महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है; और मनीसाना मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें अधिसूचित करने वाली उक्त दो अधिसूचनाएं जो फरवरी, 2006 के प्रथम दिवस से तत्काल पहले लागू थीं, सभी सार्थक समय पर लागू और लागू रही मानी जाएंगी;

अतः, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य सामाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा-शर्तें) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 12 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के परन्तुक के अनुसरण में निम्नलिखित उपांतरणों से संभावनीय रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित में अपना अभ्यावेदन देने हेतु नोटिस दिया जाता है, अर्थात्:-

I. पत्रकारों और गैर-पत्रकार, समाचार पत्र कर्मचारियों (समाचार एजेन्सी में समाचार पत्र कर्मचारियों से भिन्न) के संबंध में वेतन बोर्डों की सिफारिशों के भाग तीन के अध्याय 1 में;

(क) पैरा 9 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा; अर्थात्:-

“(2) अंशकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर का वेतन उसी स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर को लागू मूल वेतन के पश्चात् प्रतिशत धन महंगाई भत्ते से कम नहीं होगा यदि वह जिला मुख्यालय या उससे ऊपर के स्तर पर कार्य करता है परंतु कोई अंशकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर दो समाचार पत्र स्थापनों से अधिक के लिए काम नहीं करेगा। यदि संवाददाता और फोटोग्राफर जिला स्तर से नीचे के स्तर पर कार्य करता है तो उसकी मजदूरी एक ‘तिहाई से कम नहीं होगी’ परंतु वह 3 समाचार पत्रों से अधिक के लिए कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, मजदूरी का संदाय स्तंभ के आधार पर किया जाएगा जिसकी दरें पारम्परिक बातचीत के द्वारा विनिश्चित की जा सकेंगी,”

(ख) पैरा 12 में, -

(i) उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा:-

“(2) महंगाई भत्ता, जैसे ही उस तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिसके लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसके लिए महंगाई भत्ते की दरें अवधारित की जानी हैं, मंजूरी किया जा सकेगा। महंगाई भत्ता ठीक आगामी तिमाही के आरंभ से संदेय हो जाएगा जिसके लिए महंगाई भत्ते की दर का अवधारण करने के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है।”

(ii) उप-पैरा (3) में “प्रादेशिक केन्द्र के लिए” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) पैरा 21 में, -

(i) “तीस” शब्द के स्थान पर “अठारह” शब्द रखा जाएगा;

(ii) “10” अंक के स्थान पर “6” अंक रखा जाएगा;

(घ) प्रथम अनुसूची में ग्रुप 3क में “विज्ञापन प्रूफ रीडर, और प्लानर सहित प्रूफ रीडर” शब्द के स्थान पर “विज्ञापन प्रूफ रीडर, प्लानर, और स्कैनर आपरेटर सहित प्रूफ रीडर” शब्द रखा जाएगा;

(ड) द्वितीय अनुसूची में ग्रुप 3क में, अंत में निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

“स्कैनर/स्कैनर आपरेटर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो, फोटोग्राफर/कलर विज्ञापन/चित्रों का स्कैन करता है और फोटोग्राफरों और ट्रांसपेरेंसीज का कलर करेक्शन करता है”

(च) चतुर्थ अनुसूची में ग्रुप 1 में “स्कैनर/स्कैनर आपरेटर” शब्द का लोप किया जाएगा;

(छ) सारणी 1 में निम्नलिखित टिप्पण अंत में जोड़ा जाएगा अर्थातः-

“टिप्पणः-तुलनात्मक मूल वेतन वाले पत्रकारों और गैर पत्रकारों के समान मूल वेतन के लिए वेतनवृद्धि की दरें समान होंगी।”;

(ज) सारणी III के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थातः-

“सारणी III

(पैरा 12 देखें)

महंगाई भत्ता

मूल वेतन स्लैब

तिमाही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर देय महंगाई भत्ते का निर्धारण करने के लिए निष्प्रभावीकरण की दर

1. 5000 रु. तक	मूल वेतन का 100 प्रतिशत
2. 5001 से 7000 रु. के बीच	मूल वेतन का 80 प्रतिशत या 5000/-रु. का 100 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
3. 7001 से 9500 रु. के बीच	मूल वेतन का 70 प्रतिशत या 7000/-रु. का 80 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
4. 9501 से 12500 रु. के बीच	मूल वेतन का 60 प्रतिशत या 9500/-रु. का 70 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
5. 12500 से अधिक	मूल वेतन का 50 प्रतिशत या 12500/-रु. का 60 प्रतिशत जो भी अधिक हो।

महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिए सूत्रः

(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)

$$\text{म.भ.} = \frac{\text{(प्रश्नगत तिमाही के लिए औसत अ.भा.उ.मू.स.)}}{\text{(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)}} \times \text{निष्प्रभावीकरण की दर} \times \text{मूल मजदूरी}$$

(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)

(झ) सारणी IV में, टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थातः-

“टिप्पण I ऊपर वर्णित मकान किराया भत्ता की दरें किसी अंचल में स्थित समाचार-पत्र स्थापनों के किसी वर्ग के किसी ग्रुप के कर्मचारी के लिए अधिकतम चार हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह होगी।

“टिप्पण II समाचार-पत्र स्थापनों के वर्ग VI से IX के लिए मकान किराया भत्ता वेतन बोर्डों द्वारा की गई सिफारिशों के स्तर पर या वह जो कर्मचारी आहरित कर रहा है, जो अधिक हो, पर नियत किया जाएगा।”

(ज) सारणी VII में, जहां कहीं “न्यूनतम” शब्द आता है उसके स्थान पर “वास्तविक” शब्द रखा जाएगा;

II. भाग तीन में, समाचार एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकार और गैर पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के वेतन बोर्डों की सिफारिशों के अध्याय II में;

- (क) पैरा 8 में उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्; “(2) अंशकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर का वेतन उसी स्तर के पूर्णकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर के लिए लागू मूल वेतन के पचास प्रतिशत धन महंगाई भत्ते से कम नहीं होगा यदि वह जिला मुख्यालय या उससे ऊपर के स्तर पर कार्य करता है परन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि कोई अंशकालिक संवाददाता और फोटोग्राफर दो समाचार-पत्र स्थापनों से अधिक के लिए काम नहीं करेगा। यदि संवाददाता और फोटोग्राफर जिला स्तर से नीचे के स्तर पर कार्य करता है तो उसकी मजदूरी एक तिहाई से कम नहीं होगी परन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए होगा कि वह 3 समाचार पत्रों से अधिक के लिए कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त मजदूरी के संदाय के स्तंभ आधार पर किया जाएगा जिसकी दरें पारस्परिक बातचीत के द्वारा विनिश्चित की जा सकेगी”;
- (ख) पैरा 11 में,-
- (i) उप पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:- “(2) महंगाई भत्ता, जैसे ही उस तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिसके लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का महंगाई भत्ते की दरें नियत करने के लिए उपयोग किया जाता है, स्वीकृत किया जाए। महंगाई भत्ता अगली तिमाही के शुरू में प्रभावी होगा जिस तिमाही के लिए महंगाई भत्ते की दर के निर्धारण के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध हो।”
- (ii) उप पैरा (3) में, “प्रादेशिक केन्द्र के लिए” शब्द हटा दिए जाएंगे;
- (ग) पैरा 19 में,-
- (i) “तीस” शब्द के स्थान पर “अठारह” शब्द रखा जाएगा;
- (ii) “10” अंक के स्थान पर “6” अंक रखा जाएगा।
- (घ) सारणी 1 में, अंत में निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-
“टिप्पण-तुलनात्मक मूल वेतन वाले पत्रकारों और गैर पत्रकारों के समान मूल वेतन के लिए वेतनवृद्धि की दरें समान होंगी।”
- (ङ) सारणी III के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“सारणी III

(पैरा 11 देखें)

महंगाई भत्ता

मूल वेतन स्लैब	तिमाही अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर देय महंगाई भत्ते का निर्धारण करने के लिए निष्प्रभावीकरण की दर
1. 5000 रु. तक	मूल वेतन का 100 प्रतिशत
2. 5001 से 7000 रु. के बीच	मूल वेतन का 80 प्रतिशत या 5000/-रु. का 100 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
3. 7001 से 9500 रु. के बीच	मूल वेतन का 70 प्रतिशत या 7000/-रु. का 80 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
4. 9501 से 12500 रु. के बीच	मूल वेतन का 60 प्रतिशत या 9500/-रु. का 70 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
5. 12500 से अधिक	मूल वेतन का 50 प्रतिशत या 12500/-रु. का 60 प्रतिशत जो भी अधिक हो।

महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिए सूत्र:

(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)

$$\text{म.भ.} = \frac{\text{प्रश्नगत तिमाही के लिए औसत अ.भा.उ.मू.स.})}{\text{वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही}} \times \text{निष्प्रभावीकरण की दर} \times \text{मूल मजदूरी}$$

(वर्ष 1998 का अ.भा.उ.मू.स. अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)

(च) सारणी VII में, “न्यूनतम” शब्द के स्थान पर “वास्तविक” शब्द रखा जाएगा;

**भाग तीन
बध्याय-1**

श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-समाचार कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें
(समाचार एजेन्सी के समाचार-पत्र कर्मचारियों के अलावा)

खंड-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन सिफारिशों का संक्षिप्त नाम मनीसाना (मजदूरी बोर्ड) पंचाट है।

(2) यह अवार्ड श्रेणी-III और इससे ऊपर समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में 1 अप्रैल, 1998 को तथा, श्रेणी IV एवं V के समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में 1 जून, 1999 को प्रवर्तन में माना जाएगा और श्रेणी VI से IX तक समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के संबंध में पहली अप्रैल, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं.- इस पंचाट में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) 'अधिनियम' का अर्थ श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का XLV है।)

(2) समाचार पत्र प्रतिष्ठान के मामले में किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में प्रयुक्त लेखा वर्ष का अर्थ 01 अप्रैल, को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के वित्तीय वर्ष से होगा। तथापि, यदि किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष से भिन्न हो तो इसका अर्थ उस प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से होगा जिसका किसी विशेष वर्ष में आधे से अधिक भाग आता है। उन समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के मामले में जिनका लेखा वर्ष 01 अक्टूबर से प्रारम्भ होता है, लेखा वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा जिसमें प्रथम छमाही आती है।

उदाहरण-यदि किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 जनवरी, 1998 से प्रारंभ होता है तो इस प्रस्ताव से लेखा वर्ष 1988 के संदर्भ को लेखा वर्ष 1998-99 के लिए संदर्भ के रूप में माना जाएगा। पुनः, यदि समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 01 अक्टूबर से प्रारंभ होता है तो इस प्रस्ताव में लेखा वर्ष 1998 के लिए संदर्भ को उक्त प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1998-99 के लिए संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

(3) 'मूल मजदूरी' का आशय निर्धारित वेतनमान में आहरित की गई मजदूरी से है जिसमें गतिरोध वेतनवृद्धि शामिल है किन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि जैसी अन्य प्रकार की किसी भी मजदूरी अथवा वेतन को शामिल नहीं किया जाता है।

(4) 'श्रेणी' का आशय किन्हीं ऐसे समाचार-पत्र कर्मचारी से है जिनका इस प्रस्ताव में विहित समूहों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।

(5) समाचार-पत्र प्रतिष्ठान (समाचार एजेन्सी से भिन्न) के 'सकल राजस्व' का आशय प्रतिष्ठान द्वारा अपने समाचार-पत्र व्यवसाय के सभी स्रोतों से प्राप्त किए गए राजस्व से है। इसमें अपने समाचार-पत्र अथवा समाचार पत्रों में प्रचालन तथा विज्ञापन और इसके द्वारा अर्जित की गई परिसंपत्तियों तथा समाचार-पत्र व्यवसाय में कमाई गई निधियों से किए गए निवेश से प्राप्त आय भी शामिल है।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजनार्थ:-

(i) परिचालन और विज्ञापन के संबंध में राजस्व को उस धनराशि के रूप में माना जाएगा जो वास्तविक रूप से अनुमत्य उस सीमा तक कमीशन काटे जाने के बाद प्राप्त हो जिस तक ऐसे अनुमत्य कमीशन की धनराशि तर्कसंगत हो।

(ii) तर्कसंगत कमीशन वह होता है जो किसी विशेष समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के मामले में आयकर प्राधिकारियों द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाए। जिन मामलों में आयकर प्राधिकारियों का ऐसा कोई अंतिम निर्णय उपलब्ध न हो वहां परिचालन कमीशन संबंधित राजस्वों का 28 प्रतिशत और विज्ञापन संबंधी कमीशन 15 प्रतिशत होगा।

(6) 'समाचार-पत्र कर्मचारी' का तात्पर्य श्रमजीवी पत्रकार अथवा गैर-समाचार-पत्र कर्मचारी अथवा दोनों हैं।

(7) 'अनुसूची' का आशय इस प्रस्ताव के साथ संलग्न अवार्ड से है।

(8) 'सारणी' का आशय इस अवार्ड के साथ संलग्न सारणी से है।

(9) 'समाचार-पत्र प्रतिष्ठान' 'श्रमजीवी पत्रकार' 'गैर-पत्रकार' 'समाचार-पत्र कर्मचारी' शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ का क्रमशः अधिनियम में उन्हें दिए गए अनुसार होगा।

खंड-II

समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण और समाचार-पत्र कर्मचारियों का समूहीकरण

3. समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण- श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-समाचार-पत्र कर्मचारियों (समाचार एजेंसियों के अलावा) के संबंध में मजदूरी दरों के निर्धारण अथवा संशोधन के प्रयोजन के लिए समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

(क)(i) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों का वर्गीकरण 3 लेखा वर्षों अर्थात् 1995-1996, 1996-1997 और 1997-98 के औसत सकल राजस्व के आधार पर किया जाएगा। समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के विभिन्न विभागों, शाखाओं और केन्द्रों को उसका भाग माना जाएगा।

(ii) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के उनके स्वयं के सकल राजस्व के आधार पर विभिन्न विभागों, शाखाओं अथवा केन्द्रों की क्लबिंग के बावजूद इस अध्याय के पैराग्राफ 6 में यथावर्गीकृत सभी वर्गों के समाचार प्रतिष्ठानों की इकाइयों दो वर्गों से अधिक में नहीं बढ़ाई जाएंगी जो कि क्लबिंग के परिणामस्वरूप उनके सकल राजस्व के अनुसार होंगी।

स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजन के लिए।

यदि एक नगर अथवा शहर और निकटवर्ती क्षेत्रों में एक वर्गीकृत समाचार-पत्र प्रतिष्ठान की विभिन्न इकाइयां/शाखाएं कंपनियां हैं, चाहे उनके नाम अलग-अलग हों उन्हें इस समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों की एक सकल इकाई के रूप में ही माना जाएगा।

(ख) ऊपर उल्लिखित तीन (3) लेखा वर्षों में से दो को पूरा करने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के मामले में इसका वर्गीकरण उक्त दो वर्षों के लिए इसके सकल राजस्व पर निर्धारित किया जाएगा।

(ग) उस समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के मामले में जिसने उक्त लेखा वर्षों का एक ही वर्ष पूरा किया है, इसका वर्गीकरण उक्त वर्ष के लिए इसके सकल राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(घ) नया समाचार-पत्र प्रतिष्ठान अर्थात् कोई ऐसा समाचार-पत्र प्रतिष्ठान, जिस पर उपर्युक्त खंड (क), (ख) और (ग) के उपबंध लागू नहीं होते, अपने प्रथम लेखा वर्ष को पूरा कर लेने के पश्चात् उस वर्ष के लिए इसके सकल राजस्व के आधार पर वर्गीकरण किए जाने का पात्र है बशर्ते कि:

उपर्युक्त खंड (ख), (ग) और (घ) में विहित किसी भी व्यवस्था कि बावजूद, कोई ऐसा समाचार-पत्र प्रतिष्ठान जिसे 2 लेखा वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा उसे उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा। जिसमें रखे जाने का पात्र है और जिस समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का एक लेखा वर्ष के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा उसे दो श्रेणी नीचे रखा जाएगा। किसी भी मामले में, यह श्रेणी ix में नीचे नहीं रखा जाएगा।

4. वर्गीकरण को जारी रखना-इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किए गए वर्गीकरण को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि इस अध्याय के पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार उक्त समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का पुनर्वर्गीकरण न कर दिया जाए।

5. स्वामित्व में परिवर्तन-यदि किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के स्वामित्व को किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है तो इस अध्याय के पैरा 3 और 4 के उपबंध ऐसे समाचार-पत्र प्रतिष्ठान पर लागू होंगे मानों पूर्व मालिक के अंतर्गत संगत लेखा वर्षों के लिए समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का सकल राजस्व नए मालिक के अंतर्गत उन वर्षों का राजस्व था।

6. समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों की श्रेणियां- समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को इस अध्याय के पैरा 3 (क) के अनुसार सकल राजस्व के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

श्रेणी	सकल राजस्व
1 बी	600 करोड़ रुपये और अधिक
1 ए	225 करोड़ रुपये और अधिक किन्तु 600 करोड़ रुपये से कम
i	75 करोड़ रुपये और अधिक किन्तु 225 करोड़ रुपये से कम
ii	25 करोड़ रुपये और अधिक किन्तु 75 करोड़ रुपये से कम
iii	11 करोड़ रुपये और अधिक किन्तु 25 करोड़ रुपये से कम
iv	5.5 करोड़ रुपये और अधिक किन्तु 11 करोड़ रुपये से कम
v	2.5 करोड़ रुपये और अधिक किन्तु 5.5 करोड़ रुपये से कम
vi	1.25 करोड़ रुपये और अधिक किन्तु 2.5 करोड़ रुपये से कम

vii	60 लाख रुपये और अधिक किन्तु 1.25 करोड़ रुपये से कम
viii	30 लाख रुपये और अधिक किन्तु 60 लाख रुपये से कम
ix	30 लाख रुपये से कम

स्पष्टीकरण: इस पैरा में-

- (क) श्रेणी-ix के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के अलावा किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान द्वारा लिये गये परिचालन और विज्ञापन दोनों के कुल राजस्व में से यदि विज्ञापन का राजस्व ऊपर वर्णित राजस्व के 55 प्रतिशत से कम है तब इसे उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाना चाहिए जिसमें अपने कुल औसत सकल राजस्व के आधार पर वह जाएगा।
- (ख) श्रेणी ix के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के अलावा किसी समाचार पत्र प्रतिष्ठान द्वारा लिये गये परिचालन और विज्ञापन दोनों के कुल राजस्व में से यदि विज्ञापन का राजस्व ऊपर वर्णित राजस्व के 45 प्रतिशत से कम है तब इसे उस श्रेणी से एक श्रेणी नीचे रखा जाना चाहिए।
- (ग) श्रेणी ix के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र के अलावा किसी ऐसे समाचार-पत्र प्रतिष्ठान, जो भारतीय भाषा में किसी जिले के कस्बे से कोई समाचार-पत्र प्रकाशित करता है और जिसके दो से अधिक प्रकाशन नहीं हैं तथा जिसका विज्ञापन संबंधी राजस्व, कुल सकल राजस्व के 60 प्रतिशत से कम है तो उसे उस श्रेणी के एक श्रेणी नीचे रखा जाएगा जिसमें अपने कुल सकल राजस्व के आधार पर वह आएगा।
- (घ) कोई भी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान श्रेणी-ix से नीचे नहीं समझा जाएगा।

7. **पुनर्वर्गीकरण-**यह या तो नियोजक अथवा कर्मचारी के लिए खुला होगा कि वह तत्काल पूर्ववर्ती तीन (3) लेखा वर्षों के औसत सकल राजस्व के आधार पर अवार्ड के प्रवर्तन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् किसी भी समय एक समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के पुनर्वर्गीकरण की मांग कर सकता है बशर्ते कि ऐसे पुनर्वर्गीकरण की मांग तीन (3) लगातार लेखा वर्षों की किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं की जानी चाहिए।

8. **समाचार-पत्र कर्मचारियों का समूहीकरण-** (1) नियमित संवर्ग के श्रमजीवी पत्रकारों अर्थात् श्रेणी 1वीं से ix तक को प्रथम अनुसूची में रखा जाएगा और श्रमजीवी पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों की कार्यात्मक परिभाषाएं द्वितीय अनुसूची में वर्णित हैं।

(2) 1वीं से वर्गों के समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में नियमित संवर्ग के प्रशासनिक स्टाफ में गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों को तीसरी अनुसूची के अंतर्गत रखा जाएगा।

(3) सभी समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के कारखाना स्टाफ का समूहीकरण चौथी अनुसूची के अंतर्गत किया जाएगा।

खंड-III**संशोधित वेतनमान और भत्ते**

9. **श्रमजीवी पत्रकार हेतु संशोधित वेतनमान-**(1) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के भिन्न-भिन्न वर्गों के श्रम जीवी पत्रकारों के प्रत्येक समूह का संशोधित वेतनमान सारणी I में निर्धारित किया गया है।

(2) प्रत्येक अंशकालिक संवाददाता/फोटोग्राफर को 40 प्रतिशत से कम भुगतान नहीं किया जाएगा, यदि उसकी तैनाती जिला मुख्यालयों और उसके ऊपर की जाती है और यदि उसकी तैनाती जिला मुख्यालयों से नीचे के स्थान पर की जाती है, तो उसे समान स्तर पर पूर्णकालिक संवाददाता/फोटोग्राफर को मिलने वाले मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते के एक तिहाई से कम नहीं दिया जाएगा बशर्ते कि कोई अंशकालिक संवाददाता/फोटोग्राफर दो समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों से अधिक के लिए कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा, उसे कालम आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिसकी दर आपसी बातचीत द्वारा तय की जाएगी।

10. **गैर-पत्रकार हेतु संशोधन वेतनमान-**(1) समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के भिन्न-भिन्न वर्गों के गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के प्रत्येक समूह के संशोधित वेतनमान सारणी-II में निर्धारित किया गया है।

(2) निर्धारित कार्य के घंटों से कम या अधिक के लिए समय आधारित दर पर कर्मचारी (समय आधारित कार्य) के रूप में नियोजित किए गए व्यक्तियों और निर्धारित कर्मचारियों के कार्यों या जाँब को करने वाले व्यक्ति को उन घंटों की संख्या के आधार पर, जिनके लिए उसे नियोजित किया गया है, नियमित कर्मचारी के वेतन के यथानुपात आधार पर भुगतान किया जाएगा।

11. **संशोधन वेतनमान में वेतन का आहरण-**(1) यदि इस पंचाट में अन्यथा प्रावधान न किया जाए तो एक समाचार-पत्र कर्मचारी उस समूह के लिए लागू संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा जिस समूह से वह संबंधित है।

12. **महंगाई भत्ता** (1) महंगाई भत्ते की गणना करने और निष्प्रभावीकरण दर संबंधी फार्मूले सारणी III में निर्धारित किए गए हैं।

(2) महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने के लिए इस तिमाही के आंकड़े प्राप्त होते ही जिसके लिए औसत क्षेत्रीय सूचकांक का प्रयोग किया जाता है महंगाई भत्ता संस्वीकृत कर दिया जाए। महंगाई भत्ते की दर निर्धारित करने के लिए तिमाही जिसके लिए औसत क्षेत्रीय सूचकांक का प्रयोग किया जाएगा, के तत्काल बाद वाली तिमाही के आरंभ से महंगाई भत्ते देय हो जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा कार्य स्थान जिसके लिए किसी क्षेत्र के औद्योगिक कामगार संबंधी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा समेकित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या उपलब्ध नहीं है वहां निकटतम केन्द्र के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया जाना चाहिए और जहां ऐसा केन्द्र नहीं है वहां उक्त राज्य की राजधानी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया जाना चाहिए। तथापि, यदि राज्य की राजधानी में कोई क्षेत्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक न हो तो राज्य के किसी केन्द्र के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो सबसे अधिक हो, को अपनाया जायेगा।

(3) महंगाई भत्ते की संशोधित दरों की अदायगी औद्योगिक कर्मचारियों के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित क्षेत्रीय केन्द्र के लिए औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982-100) के अनुसार की जाएगी तथा यह श्रेणी-III और उससे ऊपर के लिए 1 अप्रैल, 1998 से तथा श्रेणी IV तथा उससे ऊपर के लिए 1 जून, 1999 तथा श्रेणी VI से IX तक के लिए 1 अप्रैल, 2000 से लागू होगी।

स्पष्टीकरण, -

इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ,

पंचाट के लागू होने की तारीख से पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में विद्यमान दरों (संशोधित नहीं) पर ही महंगाई भत्ते की अदायगी की जाएगी।

13. मकान किराया भत्ता, - समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित जोन में तैनात कर्मचारियों को सारणी IV में निर्धारित मकान किराया भत्ते की अदायगी की जाएगी बशर्ते कि - (1) जहां समाचार-पत्र प्रतिष्ठान द्वारा किसी कर्मचारी की आवास प्रदान किया गया हो जहां कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराया भत्ते का भुगतान किया जा रहा हो तो उसका इस प्रावधान के अंतर्गत देय मकान किराया भत्ते की राशि के साथ समायोजन किया जाएगा।

(3) जहां कोई समाचार-पत्र प्रतिष्ठान किसी कर्मचारी की ओर से किसी निधि में किसी राशि का अंशदान करता है, जिससे वह कर्मचारी अपना स्वयं का आवास ले सके तो ऐसी राशि को इस प्रावधान के अंतर्गत देय मकान किराया भत्ते से समायोजित किया जाएगा।

14. नगर प्रतिकर भत्ता, - समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को सारणी-V में निर्धारित किए गए नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

15. रात्रि पारी भत्ता, - समाचार-पत्र प्रतिष्ठान द्वारा अपने कर्मचारियों को सारणी-VI में निर्धारित की गई दरों पर रात्रि पारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

16. विषम परिस्थिति भत्ता, - समुद्र तल से 5000 फीट (1524 मीटर) ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र या किसी अशान्त क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को 250 रुपये प्रतिमाह की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण

इस पैरा के प्रयोजन के लिए "अशांत क्षेत्र" का अर्थ है संगत अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार अर्थात् राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा घोषित अशान्त क्षेत्र। उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र द्वारा निकाले जाने वाले प्रकाशनों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रेणी-VI से IX तक में कार्यरत कर्मचारियों को विषम परिस्थिति भत्ता देय नहीं होगा।

17. छुट्टी यात्रा भत्ता, - श्रेणी-VI से IX तक के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों को छोड़कर कर्मचारी को सारणी- VII में निर्धारित की गई दरों पर छुट्टी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

18. चिकित्सा भत्ता, - श्रेणी-V और उससे ऊपर की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को सारणी-VIII में नियम चिकित्सा भत्ते की अदायगी की जाएगी। तथापि केवल उन्हीं कर्मचारियों को अदायगी की जाएगी जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता।

19. चिकित्सा बीमा, - श्रेणी-VI से IX के अंतर्गत आने वाले समाचार-पत्र प्रतिष्ठान अपने सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे तथा किसी बीमा कंपनी को अदा किए जाने वाला प्रीमियम प्रति कर्मचारी 900 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित रहेगा।

20. संशोधित वेतनमान में आरंभिक वेतन का निर्धारण, - संशोधित वेतनमान में किसी कर्मचारी का आरंभिक वेतन निम्न प्रकार निर्धारित किया जाएगा।

- (क) नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान में वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित होगा।
- (ख) प्रतिष्ठानों में पहले से कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतनमान में वर्तमान परिलब्धि से अगली अवस्था पर वेतन निर्धारित होगा।
- (ग) यदि संशोधित वेतनमान का न्यूनतम कर्मचारी द्वारा वर्तमान में ली जा रही परिलब्धि की राशि से अधिक है तो संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित होगा।
- (घ) यदि कर्मचारी की वर्तमान परिलब्धि संशोधन वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है, तो संशोधन वेतनमान के न्यूनतम में वेतनवृद्धियां जोड़ते हुए और संशोधन वेतनमान में अगली उच्चतम अवस्था पर उसका वेतन निर्धारित करते हुए, वेतन निर्धारित होगा।
- (ङ) प्रत्येक कर्मचारी को पंचाट के आरम्भ होने की तारीख से तत्काल पहले धारित किए गए पद पर प्रत्येक चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि की जाएगी।
- (च) संबंधित कर्मचारी द्वारा उस प्रतिष्ठान में किसी भी अन्य पद पर की गई सेवा, जिसके वेतनमान का न्यूनतम, कर्मचारी ने जिसमें कार्य किया हो उस वेतनमान के न्यूनतम के 30 प्रतिशत से अधिक कम न हो, को भी हिसाब में लिया जाएगा।
- (छ) वेतनवृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।
- (ज) किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक वेतन नहीं मिलेगा।
- (झ) सभी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान प्रवर्तन की तिथि से लागू होंगे। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत इन सिफारिशों को प्रभावी करते हुए सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर यदि कोई कर्मचारी वर्तमान वेतनमान और "वर्तमान परिलब्धियां" रखने का विकल्प चुनता है तो वह वर्तमान वेतनमान और ऐसी परिलब्धियां बनाए रखने का पात्र होगा।

स्पष्टीकरण :

- (क) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियां" का अर्थ होगा उसका मूल वेतन, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1813 (आधार 1960=100) पर परिवर्ती महंगाई भत्ता और 1 जनवरी, 1998 को अंतरिम राहत।
- (ख) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियों" का अर्थ होगा खण्ड (क) में निर्धारित सामूहिक सौदेकारिता अनुबंध अथवा अधिनियम के परिणामस्वरूप मूल वेतन, महंगाई भत्ते या अंतरिम राहत में वृद्धि के रूप समाचार-पत्र प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत "वर्तमान परिलब्धियों" के अलावा।
- (ग) किसी कर्मचारी के "अतिरिक्त भत्ते" का अर्थ होगा कोई भी मासिक भुगतान चाहे किसी नाम से पुकारा जाए, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन से संबद्ध न हो और न ही वेतन या महंगाई भत्ते के किसी संशोधन के साथ समायोजित किए जाने के लिए जिस पर सहमति हुई हो।

21. बकायों के भुगतान का ढंग

पूर्वव्यापी प्रचालन के परिणामस्वरूप पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से देय बकायों, यदि कोई हो, का भुगतान पंचाट के प्रवर्तन की तारीख से तीस मास के भीतर 10 मास की तीन बराबर किश्तों में किया जाएगा।

बशर्तें कि:-

उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा 31-3-2000 से पूर्व किसी बकाया राशि की अदायगी नहीं की जाएगी जिन्हें पंचाट लागू होने की तारीख से पूर्ववर्ती तीन लेखा वर्षों में लगातार भारी नकद घाटा हुआ हो। तथापि, उन समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा उक्त पंचाट के लागू होने की तारीख से संशोधन वेतनमानों में नेशनल आधार पर अपने कर्मचारियों के वेतन अथवा मजदूरी नियत करना तथा 1 अप्रैल, 2000 से उसकी अदायगी अपेक्षित होगा।

बशर्तें कि:-

- (1) अंतरिम राहत की धनराशि, अर्थात् मूल वेतन का 20% और 100 रुपये की एक अतिरिक्त धनराशि, जिसकी अदायगी पंचाट आने के पूर्व की गई है, की वसूली नहीं की जाएगी।

22. भत्ता लागू होने की तारीख

पंचाट में दी गई व्यवस्था को छोड़कर, इसके विपरीत पंचाट में नियत नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, मकान किराया भत्ता और विषय परिस्थिति भत्ता श्रेणी IX से V के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में 1-6-99 से तथा श्रेणी VI से IX के अंतर्गत आने वाले समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में 1-4-2000 से प्रभावी होंगे।

अन्य भत्ते, पंचाट की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

प्रथम अनुसूची**(श्रमजीवी पत्रकारों का समूहीकरण, श्रेणी I बी से IX)****(पैरा 8 देखें)****समूह 1-संपादक**

समूह 1ए-कार्यकारी संपादक, रैजिडेंट संपादक, सह संपादक, संयुक्त संपादक, उप संपादक।

समूह 1बी-सहायक संपादक, सम्पादकीय लेखक, समाचार ब्यूरो का प्रमुख, समाचार संपादक विशेष संवाददाता।

समूह 2-उप या सहायक संपादक, मुख्य रिपोर्टर, मुख्य उपसंपादक, खेल संपादक, व्यावसायिक संपादक, फिल्म संपादक, पत्रिका संपादक, ब्यंग चित्रकार, सांख्यिकीय अथवा अनुसंधान प्रभाग का प्रमुख, मुख्य समाचार फोटोग्राफर, मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्य इन्डैक्स सहायक, मुख्य केलिग्राफिस्ट मुख्य कलाकार, राज्य सरकार को प्रत्यायित राज्य की राजधानियों में प्रधान संवाददाता, विशेष संवाददाता से अलग केन्द्र सरकार को प्रत्यायित संवाददाता तथा उच्चतर श्रेणी में नहीं रखे गए अन्य अनुभाग या बैंच प्रमुख।

समूह 2ए-उप मुख्य उप-संपादक अथवा वरिष्ठ उप-संपादक, उप मुख्य रिपोर्टर अथवा वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ संवाददाता, वरिष्ठ केलिग्राफिस्ट, वरिष्ठ आर्टिस्ट, वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ सूची सहायक और वरिष्ठ संदर्भ सहायक।

समूह 3-उप संपादक, रिपोर्टर, संवाददाता, समाचार फोटोग्राफर, कलाकार, कातिबों सहित केलिग्राफिस्ट, पुस्तकालयाध्यक्ष, सूची सहायक, मुख्य प्रूफ रीडर।

समूह 3ए-विज्ञापन प्रूफ रीडर सहित प्रूफ रीडर तथा प्लानर।

समूह 4-किसी अन्य समूह के अंतर्गत उल्लिखित के अलावा सभी श्रमजीवी पत्रकार आदि प्रतिष्ठान द्वारा उच्च स्तर पर नहीं रखे गए हों।

टिप्पणी:

- (1) कोई भी समाचारपत्र कर्मचारी अनुसूचियों में दिए गए पदनामों से भिन्न किसी भी पद पर नियोजित हो और वहीं या समान कार्य अथवा उसी या समान प्रकृति का कार्य करता हो तो वह उस समूह में एक श्रमजीवी पत्रकार समझा जाएगा।
- (2) अनुसूची में दी गई कर्मचारियों की सभी श्रेणियां हर वर्ग के समाचारपत्र प्रतिष्ठानों में विद्यमान हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं।

दूसरी अनुसूची**(कार्यात्मक परिभाषाएं)****(पैरा 8 देखें)**

समूह 1-“संपादक” वह व्यक्ति है जो किसी समाचार-पत्र के संपादकीय पक्ष का निर्देशन और पर्यवेक्षण करता है।

समूह 1ए-“कार्यकारी संपादक” वह व्यक्ति है जो किसी समाचार-पत्र के संपादक और प्रकाशन संबंधी कार्यों में सहायता करता है चाहे वह रेजिडेंट संपादक, सहायक संपादक इत्यादि के कार्य का पर्यवेक्षण करता है या नहीं।

“रैजिडेंट संपादक” वह व्यक्ति है जो उस केन्द्र, जहां से समाचारपत्र मूल रूप से प्रकाशित हुआ था, से भिन्न किसी अन्य केन्द्र पर समाचारपत्र के संपादक के कार्यों का निष्पादन करता है।

“सह संपादक” या “संयुक्त संपादक” या “उप संपादक” वह व्यक्ति है जो कि संपादक के कार्य के निष्पादन में सामान्यतः संपादक की सहायता करता है।

समूह 1बी

“सहायक संपादक” वह व्यक्ति है जो संपादक को सामान्यतः टिप्पणियों और विचारों से संबंधित उसके कार्यों के निष्पादन में नियमित रूप सहायता करता है और लीडर्स लिखता हो तथा समीक्षा, टिप्पणी या आलोचना से संबंधित अन्य प्रति भी तैयार कर सकता है।

“संपादकीय लेखक” वह व्यक्ति है जो नियमित रूप से संपादकीय लिखता है और समीक्षा, टिप्पणी या आलोचना से संबंधित अन्य प्रति भी तैयार कर सकता है।

“समाचार संपादक” वह व्यक्ति है जो समाचार विभाग के कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है तथा किसी समाचारपत्र के सभी संस्करणों की समाचार सामग्री के लिए उत्तरदायी होता है।

“समाचार ब्यूरो का प्रमुख” वह व्यक्ति है जो समाचार ब्यूरो के कार्य का पर्यवेक्षण करता है और ब्यूरो के सदस्यों को कार्य सौंपता है।

“विशेष संवाददाता” वह व्यक्ति है जिसके कर्तव्यों में केन्द्र सरकार के मुख्यालय या विदेशी केन्द्र में अधिकृत संवाददाता अथवा अन्यथा के रूप में अपने कर्तव्यों में नियमित रूप से संसद संबंधी, राजनीति तथा सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्ट देना तथा उनका प्रतिपादन करना शामिल है या जो एक से अधिक राज्य अथवा ऐसे किसी अन्य स्थान पर इसी प्रकार के कार्य नियमित रूप से निरूपादित करता है।

वर्ग 2

"उप या सहायक समाचार संपादक" वह व्यक्ति है जो संपादक को सामान्यतः उसके कार्य करने में सहायता करता है तथा या नगर संस्करण प्रकाशित करने का इंचार्ज है।

"प्रमुख रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो प्रकाशन के केन्द्र में सभी रिपोर्टरों का इंचार्ज है, उनके कार्य का निरीक्षण करता है तथा विधायी, राजनीतिक या सामान्य महत्व के सभी समाचारों की रिपोर्ट तथा व्याख्या भी नियमित रूप से देता है।

"प्रमुख उप-संपादक" वह व्यक्ति है जो समाचार डैस्क पर पारी कार्यभार ग्रहण करता है, एक या अधिक उप-संपादकों के कार्य का आवंटन तथा निरीक्षण करता है तथा समाचारपत्र या उसके किसी विशेष संस्करण या उसके भाग में समाचार स्थान के निर्धारण के तथा समाचार के सामान्य प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है।

"खेल-कूद संबंधी संपादक" समाचारपत्र के खेल-कूद अनुभाग का इंचार्ज है, खेल-कूद संबंधी समाचार तथा संबद्ध क्रियाकलापों पर कार्यवाही करता है तथा एक या अधिक रिपोर्टरों तथा एक या अधिक उप-संपादकों के कार्य का निरीक्षण करता है तथा सामान्यतः समाचार के स्थान तथा खेल-कूद संबंधी समाचार के सामान्य प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी है।

"वाणिज्यिक संपादक" वह व्यक्ति है जो वाणिज्यिक, वित्त, व्यवसाय तथा उद्योगों से संबंधित समाचार तथा विचारों पर कार्यवाही करता है तथा उन पर टिप्पणी करता है तथा एक या अधिक रिपोर्टरों के कार्य का आवंटन तथा निरीक्षण करता है।

"फिल्म संपादक" वह व्यक्ति है जो फिल्मों तथा मंच से संबंधित समाचार तथा विचारों पर कार्यवाही करता है तथा मंच एवं चलचित्र के बारे में विशेष कालम या पृष्ठ का इंचार्ज है तथा एक या अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता है।

"पत्रिका संपादक" वह व्यक्ति है जो समाचार के साहित्यिक या मनोरंजन विषयों से संबंधित समाचारों तथा विचारों पर कार्यवाही करता है तथा साहित्यिक या ऐसे अन्य सम्बद्ध विषयों के संबंध में विशेष कालमों या पृष्ठ का इंचार्ज है तथा दो या अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता है।

"व्यंग्य चित्रकार" वह व्यक्ति है जो व्यंग्यों तथा उपहासचित्रों के माध्यम से समाचारों तथा घटनाओं पर टिप्पणी करता है।

"सांख्यिकी या अनुसंधान प्राग का प्रमुख"

सांख्यिकी या अनुसंधान प्रभाग का इंचार्ज वह व्यक्ति है जो वित्तीय समाचार-पत्र में वाणिज्य, वित्त व्यवसाय तथा उद्योग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करता है तथा एक या अधिक श्रमजीवी पत्रकारों के कार्य का निरीक्षण करता है।

"प्रमुख समाचार फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है जो एक या अधिक समाचार फोटोग्राफरों के कार्य का आवंटन या निरीक्षण करता है।

"प्रमुख पुस्तकाध्यक्ष" या **"प्रमुख सूची सहायक"** या **"प्रमुख कैलीग्राफिस्ट"** या **"प्रमुख आर्टिस्ट"** वह व्यक्ति है जो क्रमशः एक या अधिक पुस्तकाध्यक्षों, सूची सहायकों, कैलीग्राफिस्टों या आर्टिस्टों के कार्य का निरीक्षण करता है।

"प्रमुख संवाददाता" वह व्यक्ति है जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत है तथा संवाददाता वह व्यक्ति है जो विशेष संवाददाता तथा अन्य अनुभागीय या वैच प्रमुखों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत है।

वर्ग 2 ए

"उप प्रमुख उप-संपादक" या **"वरिष्ठ उप-संपादक"** वह व्यक्ति है जो प्रमुख उप-संपादक को उसके कर्तव्यों के निष्पादन में नियमित रूप से सहायता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उप-संपादक के स्थान पर कार्य करता है।

"प्रमुख उप रिपोर्टर" या **"वरिष्ठ रिपोर्टर"** यह व्यक्ति है जो प्रमुख रिपोर्टर की सहायता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करता है।

"वरिष्ठ संवाददाता" वह व्यक्ति है जो विशेष या प्रधान संवाददाता के अतिरिक्त है जिसके कर्तव्यों में प्रकाशन के क्षेत्र के अतिरिक्त किसी केन्द्र में मुख्य समाचार के संबंध में रिपोर्टिंग करना सम्मिलित है तथा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है।

"वरिष्ठ कैलीग्राफिस्ट" या **"वरिष्ठ आर्टिस्ट"** या **"वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष"** या **"वरिष्ठ सूची सहायक"** या **"वरिष्ठ संदर्भ सहायक"** वे व्यक्ति हैं जो क्रमशः प्रमुख कैलीग्राफिस्ट या प्रमुख आर्टिस्ट या प्रमुख पुस्तकाध्यक्ष या प्रमुख सूची सहायक को सहयोग देता है तथा जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो।

वर्ग 3

"उप संपादक" वह व्यक्ति है जो सभी विषय-क्षेत्रों के समाचार मर्दों को प्राप्त करने, चयन करने, छोटा करने, संक्षिप्त करने, विस्तृत करने, अनुवाद करने तथा संपादित करने का काम करता है तथा मुख्य शीर्ष देता है और इनमें से कुछ या सभी कार्य कर सकता है।

"रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो किसी विशेष केन्द्र में समाचार एकत्र तथा प्रस्तुत करता है।

“संवाददाता” वह व्यक्ति है जो प्रकाशन के केन्द्र के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र से समाचार एकत्र करता है तथा इसे वायरलेस, डाक या अन्य साधनों द्वारा भेजता है।

“समाचार फोटोग्राफर” वह व्यक्ति है जो फोटोग्राफरों के माध्यम से जनहित की समाचार घटनाओं को सम्मिलित करता है।

“आर्टिस्ट” वह व्यक्ति है जो चित्रों अभिन्यासों, नक्शों, ग्राफों या अन्य समान प्रकार के अलंकरणों, किसी प्रकार के उदाहरण या रचानात्मक कला के प्रकाशन तैयार करता है। वह इन कार्यों में से कुछ या सभी कर सकता है।

“कैलीग्राफिस्ट” एक ऐसा कलाकार है जो पत्रकारिता संबंधी कार्य तथा कैलीग्राफर मामले भी निष्पादित करता है।

“पुस्तकाध्यक्ष” या **“ सूची सहायक”** वह व्यक्ति है जो ऐसे समाचारों तथा विचारों से संबंधित रिकार्ड तैयार तथा अनुरक्षित करता है जो पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया जाता है या प्रचलित कहानियां उनके स्थान पर भरते हैं। इनमें से किसी भी कार्य को न करने वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

“प्रमुख प्रूफ रीडर” एक या अधिक रीडरों के कार्य का आवंटन तथा निरीक्षण करता है और पारी का इंचार्ज है।

वर्ग 3 ए

“प्रूफ रीडर” वह व्यक्ति है जो संपादक की प्रति से प्रूफ की मुद्रित सामग्री की जांच करता है ताकि पूर्ववर्ती की उत्तरवर्ती के साथ अनुरूपता को सुनिश्चित किया जा सके। वास्तविक विसंगतियों, वर्तनी की गलतियों, व्याकरण की अशुद्धियां एवं वाक्य रचना की गलतियों का भी उसके द्वारा पता लगाया जाता है तथा उन्हें वह या तो स्वयं सही करता है या सही करवाता है।

“प्लानर” वह व्यक्ति है जो संपादक द्वारा दी गई किसी समाचार सामग्री को प्रमुखता से दर्शाने के लिए फोटो संपादन, रंग संपादन और छाया संपादन के कार्य में सहायता करता है।

तीसरी अनुसूची

(गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी का समूहीकरण श्रेणी।बी से।X)

[पैरा 8(2) देखें]

वर्ग 1 -महाप्रबंधक, प्रबंधक तथा सचिव।

वर्ग 2 -विभागीय प्रबंधक (जो परिचालन, विज्ञापन विभाग, कार्मिक आदि का प्रभारी है), प्रमुख लेखाकार (लेखाकार), इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, पीआरओ (श्रेणी I, II, III, IV एवं V समाचार-पत्र प्रतिष्ठान)।

वर्ग 2ए -संपर्क अधिकारी, लेखा अधिकारी, प्रमुख आंतरिक लेखा परीक्षक, सहायक विज्ञापन प्रबंधक, सहायक परिचालन प्रबंधक तथा कार्मिक अधिकारी।

वर्ग 3 -अनुभागीय अध्यक्ष (जो 5 लिपिकों के कार्य को देखता है) व्यवसाय केनवेसर, बिक्री प्रतिनिधि, मुख्य लिपिक, प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, वैयक्तिक सहायक (स्टैनों सेक्रेटरी) सहायक लेखापाल, विज्ञापन प्रतिनिधि।

टिप्पणी: इस भाग में दी गई सिफारिशें गैर-पत्रकार, समाचार-पत्र कर्मचारियों से अन्य कर्मचारियों जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है यद्यपि उपर्युक्त 4 वर्गों में सम्मिलित है, पर लागू नहीं होगी।

वर्ग 4 -आशुलिपिक, सहायक, लेखा लिपिक, कार्ड पंचिंग आपरेटर, ईडीपी आपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसर, वाच एंड वार्ड निरीक्षक, कैशियर, परिचालन निरीक्षक/प्रतिनिधि, विज्ञापन अनुवादक, वरिष्ठ लिपिक (अर्थात् जिसका कार्य विशेष कौशल का है), लेखा मशीनों/संगणक मशीनों तथा टेलीप्रिटरों के आपरेटर, फील्ड आरगैनाइजर तथा लेखा-परीक्षा करने वाले, परिचालन ब्यूरो, नर्स (पुरुष तथा महिला), आर्टिस्ट (वाणिज्यिक एवं प्रोसेस)।

वर्ग 5 -कनिष्ठ लिपिक (अर्थात् सामान्य लिपिकीय कार्य करने वाले जिसमें विज्ञापनों की स्वीकृति तथा प्रकाशनों की बिक्री शामिल है), टाइम कीपर, टाइपिस्ट, टेलीफोन आपरेटर, एड्रेसोग्राफर, स्वागतकर्ता, फ्रेंकिंग मशीन आपरेटर, कैंटीन सुपरवाइजर, कनिष्ठ आर्टिस्ट (वाणिज्यिक एवं प्रोसेस), फायर मैन-सह-सुरक्षा कर्मी।

वर्ग 6 - बिल एकत्र करने वाला, सुरक्षा गार्ड, दफ्तरी या अर्ध लिपिकीय कार्य करने वाला, जीरोक्स आपरेटर, वाचमैन तथा डिलीवरी चपरासी।

वर्ग 7 -चपरासी-एवं-संवाहक, चपरासी, सफाईवाला, बियरर क्लीनर, कॉल-बॉय, कैंटीन-बॉय, वाटर-बॉय, माली, दर्जी, अर्दली, दरबान, मसालची।

नोट:- (1) समाचार-पत्र के किसी भी कर्मचारी को अनुसूची में उल्लिखित जिस वर्ग के जैसा वह कार्य करता है, भले ही उसका पदनाम अनुसूची में उल्लिखित पदनाम से भिन्न ही क्यों न हो, उसी वर्ग का गैर-पत्रकार माना जाएगा।

- (2) वह आवश्यक नहीं कि अनुसूची में उल्लिखित सभी श्रेणियों के कर्मचारी हर वर्ग के समाचार प्रतिष्ठान में हों ही।
- (3) नियोजन से छूटे हुए वर्ग का वर्गीकरण, यदि कोई है, तो उन्हें द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से कर्मचारी और प्रबंधन द्वारा आपसी विचार-विमर्श से निपटाया जाना चाहिए।

चौथी अनुसूची
(फैक्टरी स्टाफ का समूहीकरण)
[पैरा 8(3) देखें]

वर्ग 1 - ए एंड बी सुपरवाइजर, कैमरा ऑपरेटर (प्रोसेस एंड ऑफसैट), कलर रिटाउचर, निगेटिव रिटाउचर कवर सेपरेशनस्कैनर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डिस्प्ले विज्ञापन आपरेटर, ऑफसैट प्रिंटिंग फोरमैन, ऑफसैट प्रिंटर, ऑफसैट रोटररी मैकेनिक, पीटीएस कन्ट्रोलर, पीटीएस इंजीनियर, फोटो टाइप सेटिंग आपरेटर, स्कैनर/स्कैनर ऑपरेटर, सीनियर कैमरामैन, सुपरवाइजर (फोटो-कम्पोजिंग), वरिष्ठ बीडीटी ऑपरेटर/बीडीटी ऑपरेटर, टर्मिनल ऑपरेटर।

वर्ग 1ए - एयर कंडीशन प्लांट मैकेनिक, आरमेपर वाइंडर, आटो कैमरामैन, ब्रोमाइड पेस्टर, कैमरामैन (ऑफसैट), कैमरामैन, प्रमुख प्रेस विज्ञापन सहायक, कलर ऐचर, कलर पेस्टर, इलैक्ट्रॉनिक की-बोर्ड ऑपरेटर/की-बोर्ड ऑपरेटर, फिल्म इम्पोजिटर, फिल्म पेस्टर, फोरमैन, जूनियर बीडीटी आपरेटर, कैटिब्स, लाइनो मैकेनिक, लाइनो आपरेटर, लाइन पेस्टर, माइक्रो फिल्म तकनीशियन माइक्रो फिल्म यूनित सहायक, मोनो मैकेनिक, मोनो आपरेटर, मोटर मैकेनिक, नाइलो प्लेट मेकर, ऑफसेट मशीन मैन, ऑफसैट मैकेनिक, ऑफसैट इंजीनियर, ऑफसैट प्लेट मेकर, पेज मेकअप मैन (फोटो सैटिंग), पेस्टअप मैन/पेस्ट मैन/पेस्टअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर (प्रोसेस), प्लेट मेकर (कलर), प्रेस विज्ञापन सहायक, प्रिंटर (फोरमैन कम्पोजिंग सुपरवाइजर), प्रोसेस डिवलेपर, प्रिंटर (ऑफसैट, फोटो कम्पोजिंग क तथा ख ग्रेड कम्पोजिंग), पीटीएस मैकेनिक, सीनियर की-बोर्ड ऑपरेटर, रेप्रो फोटोग्राफर, रोटररी मैकेनिक, सीनियर इम्पोजिटर, सीनियर मैकेनिक, सीनियर पेस्टर, सीनियर प्रिंटर, सीनियर रिटाउचर, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर (साप्ताहिक कार्य तथा अन्य अनुभागों को कम्पोज करने वाला), टीटीएस ऑपरेटर।

वर्ग 2 - एपीएल ऑपरेटर, सहायक कैमरा ऑपरेटर, सहायक कलर प्रिंटर, सहायक प्लेट मेकर (कलर), सहायक ले-आउट मैन, सहायक फोरमैन, सहायक प्रिंटर, ब्लाक-रूम सहायक, ब्लॉक रूम मैन, ब्रोमाइड डिवेलपर (पीटीएस डिवेलपर), कैमरा ऑपरेटर, कलर प्रिंटर, कान्टेक्ट ऑपरेटर/कान्टेक्ट प्रिंटर ऑपरेटर, कन्वेयर स्ट्रीकट मशीनमैन, कोरेक्टर, उपफोरमैन (गिलीटीन), इंग्रेवर, इनलार्जर ऑपरेटर, फाइलिंग सहायक, फलांगमैन, ग्रेनिंग मशीनमैन, हाफटोन ईचर, हैडिंगमैन, इम्पोजर, इम्पोजिटर, ज्वाइनर, जूनियर लाइन मैकेनिक, जूनियर प्रिंटर, लुडलो ऑपरेटर, मैक-अप मैन, ऑफसैट प्लेट मेकर, पेजमैन/असिस्टेंट पेस्टर, मैडल प्रिंटर, ऑपरेटर कलर (उच्च कौशल) फोटोग्रेवर मशीनमैन, फोटो लैटरिंग मशीन ऑपरेटर, प्रोसेस असिस्टेंट, प्रोसेस प्रिंटर, प्रूफिंग मशीनमैन (ऑफसैट) पीटीएस की-बोर्ड ऑपरेटर, रिटाउचर, रिलस्टार, मशीनमैन, रोटेरी मशीनमैन हैडमैन, रोटेरी मशीनमैन (सामान्य), रोटररी मशीनमैन सारंग, सीनियर मशीनमैन, स्टीरियो ब्लॉकमैन, स्टीरियो कास्टर स्टीरियो कास्टिंग मैन, स्टीरियो कास्टिंग हैडमैन, स्टीरियो फायरमैन, मोलिंग मैन, स्टोनहैंड, जूनियर मैकेनिक, 202 प्रोसेसर।

वर्ग 3 - एयर कंडीशन प्लांट क्लीनर, सहायक मुकद्दम, सहायक प्रिंटिंग मशीनमैन (सभी श्रेणियां), कास्टर, कारपेन्टर, चार्जहैंड (पलेटिया), चिपर या रूटर, कलर वर्क प्रूफिंग प्रैसमैन, कापी होल्डर, कटर, सइकिल मिन्नी, डार्क रूम सहायक, ड्राइवर, एल-रॉड, ऑपरेटर, इलैक्ट्रिशियन फिटर हैमरमैन, हैंड-कम्पोजिटर, हैंड प्रैसमैन, जूनियर मशीनमैन, मशीनमैन (रोटररी मशीनमैन को छोड़कर), मशीनमैन (प्रिंटिंग के अतिरिक्त), मंगलमैन मेसन मैटल कास्ट, मिन्नी, मोनोकास्टर, मोल्डर, समाचार दफतरी, ऑफ सैट इंकमैन, ऑपरेटर (ब्लैक एंड व्हाइट), पेंटर, आर्ट विभाग में पेस्ट-अप मैन, प्लेट मेकर (ब्लैक एंड व्हाइट), प्लम्बर, प्रेसेगिटाइलड प्लेट मेकर, आरक्षीध अथवा फिल्म प्रोसेसर ऑपरेटर रोलर मेकर रोटेरी मुकद्दम, रूलिंग मशीन मैन सीनियर चार्जहैंड, साइन राइटर, स्टोर मुकद्दम टर्नर, वायरमैन, वैल्डर, स्टीरियोमैन।

वर्ग 4 -सहायक इलैक्ट्रिशियन, सहायक फिटर, सहायक मशीनमैन, सहायक टर्नर, सहायक वैल्डर (सभी 5 वर्ष की सेवा सहित), लोहार, कुक, कटिंग मशीनमैन, डी-प्रैसमैन, वितरक, ट्रेडमैन, लाइन इधर।

वर्ग 5 -बॉलर मुकद्दम, बरमैन, वाइंडर, केस रूम क्लीनर, कलर वर्क परीक्षक, काउंटर, दफतरी, धोबी, फीडर फलाईबॉय, गैली प्रैसमैन, हवलदार, हैड-चपरासी, इंटर ले कटर, जमादार, नाइफ शापर्नर, लीड मेल्टर, लिफ्ट मैन, लाइनों-क्लीनर, लॉक-अप-मैन, माउंटर, मोनो-क्लीनर, नम्बरर, पैकर, पेपरमैन, प्लेट ग्राइन्डर, प्रूफ पुलर, रील-माइंडर, रोलरमैन, अर्ध-कुशल बालर, स्टोर-पेपर काउंटर, स्ट्रिचर, व्हील (रोटेरी क्लीनर) सभी अन्य अर्ध-कुशल सहायक, क्लीनर तथा हेल्पर चाहे उनका कोई भी नाम हो।

वर्ग 6 -बॉलर, वाइंडिंग बॉय, मजदूर, रीललोडर तथा अनलोडर ट्रॉलीमैन, प्रूफ मैसेंजर।

नोट:- (1) समाचार-पत्र के किसी भी कर्मचारी को अनुसूची में उल्लिखित जिस वर्ग के जैसा वह कार्य करता हो, भले ही उसकी पदनाम अनुसूची में उल्लिखित पदनाम से भिन्न ही क्यों न हो, उसी वर्ग का गैर-पत्रकार माना जाएगा।

(2) यह आवश्यक नहीं कि अनुसूची के उल्लिखित सभी श्रेणियों के कर्मचारी हर वर्ग के समाचार प्रतिष्ठान में हों ही।

(3) नियोजन से छूटे हुए वर्ग का वर्गीकरण, यदि कोई है, तो उन्हें द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से कर्मचारियों और प्रबंधन द्वारा आपसी विचार-विमर्श से निपटाया जाना चाहिए।

***सारणी-1**
समाचार-पत्र स्थापन
श्रमजीवी पत्रकार

स्थापन का वर्ग	कर्मचारियों का समूह	वेतनमान	वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
(600 करोड़ रु. और उससे अधिक) 1बी	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	10540-580-14600-805-20235-910-25695 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	9690-535-13435-740-18615-840-23655 रु. (7) (7) (6)	20
	2	8945-490-12375-680-17135-940-22775 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	7115-390-9845-540-13625-750-18125 रु. (7) (7) (6)	20
	3	6440-355-8925-490-12355-680-16435 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	5765-315-7970-440-11050-610-14710 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4995-275-6920-380-9580-525-12730 रु. (7) (7) (6)	20
(225 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 600 करोड़ रु. से कम) 1ए	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	10210-460-13430-605-17665-620-21385 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	9400-425-12375-555-16260-570-19680 रु. (7) (7) (6)	20
	2	8685-390-11415-515-15020-675-19070 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	6905-310-9075-410-11945-540-15185 रु. (7) (7) (6)	20
	3	6250-280-8210-370-10800-485-13710 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	5610-250-7360-330-9670-435-12280 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4860-220-6400-290-8430-380-10710 रु. (7) (7) (6)	20

(75 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 225 करोड़ रु. से कम) I	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	9630-435-12675-570-16665-585-20175 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	8795-395-11560-520-15200-530-18380 रु. (7) (7) (6)	20
	2	8125-365-10680-480-14040-630-17820 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	6425-290-8455-380-11115-500-14115 रु. (7) (7) (6)	20
	3	5905-265-7760-350-10210-460-12970 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	5315-240-6995-315-9200-415-11690 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4530-205-5965-270-7855-355-9985 रु. (7) (7) (6)	20
(25 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 75 करोड़ रु. से कम) II	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	9335-325-11610-405-14445-360-16605 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	8415-295-10480-365-13035-325-14985 रु. (7) (7) (6)	20
	2	7760-270-9650-340-12030-300-13830 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	6085-215-7590-265-9445-330-11425 रु. (7) (7) (6)	20
	3	5695-200-7095-250-8845-310-10705 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	5015-175-6240-220-7780-270-9400 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4350-150-5400-190-6730-235-8140 रु. (7) (7) (6)	20
(11 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 25 करोड़ रु. से कम) III	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	8965-315-11170-390-13900-350-16000 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	7940-280-9900-345-12315-310-14175 रु. (7) (7) (6)	20

	2	7465-260-9285-325-11560-290-13300 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	5885-205-7320-255-9105-320-11025 रु. (7) (7) (6)	20
	3	5535-195-6900-240-8580-300-10380 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	4755-165-5910-205-7345-255-8875 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4235-150-5285-185-6580-230-7960 रु. (7) (7) (6)	20
(5.50 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 11 करोड़ रु. से कम) IV	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	8535-255-10320-260-12140-305-13970 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	7315-220-8855-265-10710-270-12330 रु. (7) (7) (6)	20
	2	6845-205-8280-250-10030-250-11530 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	5470-165-6625-200-8025-240-9465 रु. (7) (7) (6)	20
	3	5305-160-6425-195-7790-235-9200 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	4395-130-5305-160-6425-195-7595 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4075-120-4915-145-5930-180-7010 रु. (7) (7) (6)	20
(2.50 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 5.50 करोड़ रु. से कम) V	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	7540-225-9115-230-10725-270-12345 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	7195-215-8700-220-10240-255-11770 रु. (7) (7) (6)	20
	2	6555-195-7920-240-9600-240-11040 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	5265-160-6385-190-7715-230-9095 रु. (7) (7) (6)	20

	3	5050-150-6100-185-7395-220-8715 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	4170-125-5045-150-6095-185-7205 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3935-120-4775-145-5790-175-6840 रु. (7) (7) (6)	20
(1.25 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 2.50 करोड़ रु. से कम) VI	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	6285-155-7370-145-8385-170-9405 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	6070-150-7120-140-8100-160-9060 रु. (7) (7) (6)	20
	2	5460-135-6405-160-7525-150-8425 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	4865-120-5705-145-6720-170-7740 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4505-115-5310-135-6255-155-7185 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	3795-95-4460-110-5230-130-6010 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3620-90-4250-105-4985-125-5735 रु. (7) (7) (6)	20
(60 लाख रु. और उससे अधिक किन्तु 1.25 करोड़ रु. से कम) VII	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1ए	5570-140-6550-130-7460-150-8360 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	5395-135-6340-160-7460-150-8360 रु. (7) (7) (6)	20
	2	4995-125-5870-145-6885-140-7725 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	4295-105-5030-125-5905-150-6805 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3745-95-4410-110-5180-130-5960 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	3665-90-4295-105-5030-125-5780 रु. (7) (7) (6)	20

	4	3520-90-4150-105-4885-120-5605 रु. (7) (7) (6)	20
(30 लाख रु. और उससे अधिक किन्तु 60 रु. से कम) VIII	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1बी	5065-125-5940-150-6990-140-7830 रु. (7) (7) (6)	20
	2	4745-120-5585-140-6565-130-7345 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3550-90-4180-105-4915-125-5665 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	3530-90-4160-105-4895-120-5615 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3315-85-3910-100-4610-115-5300 रु. (7) (7) (6)	20
(30 लाख रु. से कम) IX	1	कोई वेतनमान नहीं	
	1बी	4220-85-4815-95-5480-110-6140 रु. (7) (7) (6)	20
	2	3915-80-4475-90-5105-100-5705 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3380-70-3870-75-4395-90-4935 रु. (7) (7) (6)	20
	3ए	3270-65-3725-75-4250-85-4760 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3110-60-3530-70-4020-80-4500 रु. (7) (7) (6)	20

टिप्पणः- पत्रकारों की वेतन वृद्धि की दरें तुलनीय मूल वेतन वाले गैर-पत्रकारों की वेतन वृद्धि दरों के समान होंगी।

[* अधिसूचना सं. का. आ. 1125(अ) दिनांक 15.12.2000 द्वारा प्रतिस्थापित]

सारणी-II
समाचार-पत्र प्रतिष्ठान
गैर-पत्रकार (प्रशासनिक स्टाफ)

प्रतिष्ठान का वर्ग	कर्मचारियों का समूह	वेतनमान	वर्ष
1	2	3	4
(600 करोड़ रु. और अधिक) Iबी	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	7355-405-10190-560-14110-775-18760 रु. (7) (7) (6)	20

	2ए	6465-355-8950-490-12380-680-16460 रु. (7) (7) (6)	20
	3	5700-315-7905-435-10950-600-14550 रु. (7) (7) (6)	20
	4	5475-300-7575-415-10480-575-13930 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4775-265-6630-365-9185-505-12215 रु. (7) (7) (6)	20
	6	4515-250-6265-345-8680-475-11530 रु. (7) (7) (6)	20
	7	4260-235-5905-325-8180-450-10880 रु. (7) (7) (6)	20
	(225 करोड़ रु. और अधिक किंतु 600 करोड़ रु. से कम) ।ए	1	कोई वेतनमान नहीं
2		7140-320-9380-420-12320-555-15650 रु. (7) (7) (6)	20
2ए		6275-280-8235-370-10825-485-13735 रु. (7) (7) (6)	20
3		5545-250-7295-330-9605-430-12185 रु. (7) (7) (6)	20
4		5330-240-7010-315-9215-415-11705 रु. (7) (7) (6)	20
5		4645-210-6115-275-8040-360-10200 रु. (7) (7) (6)	20
6		4395-200-5795-260-7615-345-9685 रु. (7) (7) (6)	20
7		4156-185-5450-245-7165-320-9085 रु. (7) (7) (6)	20
(75 करोड़ रु. और अधिक किंतु 225 करोड़ रु. से कम) ।	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	6690-300-8790-395-11555-520-14675 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	5935-265-7790-350-10240-460-13000 रु. (7) (7) (6)	20
	3	5250-235-6895-310-9065-410-11525 रु. (7) (7) (6)	20

	4	4990-225-6565-295-8630-390-10970 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4390-200-5790-260-7610-345-9680 रु. (7) (7) (6)	20
	6	4180-190-5510-250-7260-325-9210 रु. (7) (7) (6)	20
	7	3960-180-5220-235-6865-310-8725 रु. (7) (7) (6)	20
(25 करोड़ रु. और अधिक किंतु 75 करोड़ रु. से कम) II	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	6360-225-7935-280-9895-345-11965 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	5720-200-7120-250-8870-310-10730 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4975-175-6200-215-7705-270-9325 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4755-165-5910-205-7345-255-8875 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4255-150-5305-185-6600-230-7980 रु. (7) (7) (6)	20
	6	4050-140-5030-175-6255-220-7575 रु. (7) (7) (6)	20
	7	3850-135-4795-170-5985-210-7245 रु. (7) (7) (6)	20
(11 करोड़ रु. और अधिक किंतु 25 करोड़ रु. से कम) III	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	6100-215-7605-265-9460-330-11440 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	5550-195-6915-240-8595-300-10395 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4755-165-5910-205-7345-255-8875 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4550-160-5670-200-7070-250-8570 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4155-145-5170-180-6430-225-7780 रु. (7) (7) (6)	20

	6	3950-140-4930-175-6155-215-7445 रु. (7) (7) (6)	20
	7	3760-130-4670-165-5825-205-7055 रु. (7) (7) (6)	20
(5.50 करोड़ रु. और अधिक किंतु 11 करोड़ रु. से कम) IV	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	5815-175-7940-210-8510-255-10040 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	5350-160-6470-195-7835-235-9245 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4500-135-5445-165-6600-200-7800 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4335-130-5245-155-6330-190-7470 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4005-120-4845-145-5860-175-6910 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3825-115-4630-140-5610-170-6630 रु. (7) (7) (6)	20
	7	3560-105-4295-130-5205-155-6135 रु. (7) (7) (6)	20
(2.50 करोड़ रु. और अधिक किंतु 5.50 करोड़ रु. से कम) V	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	5075-150-6125-185-7420-225-8770 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	4665-140-5645-170-6835-205-8065 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4305-130-5215-155-6300-190-7440 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4170-125-5045-150-6095-185-7205 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3920-120-4760-145-5775-175-6825 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3865-115-4670-140-5650-170-6670 रु. (7) (7) (6)	20
	7	3380-100-4080-120-4920-150-5820 रु. (7) (7) (6)	20

(1.25 करोड़ रु. और अधिक किंतु 2.50 करोड़ रु. से कम) VI	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	4390-110-5160-130-6070-150-6970 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	4195-105-4930-125-5805-145-6675 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3930-100-4630-115-5435-135-6245 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3850-95-4515-115-5320-135-6130 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3600-90-4230-105-4965-125-5715 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3355-85-3950-100-4650-115-5340 रु. (7) (7) (6)	20
	7	3055-75-3580-90-4210-105-4840 रु. (7) (7) (6)	20
(60 लाख रु. और अधिक किंतु 1.25 करोड़ रु. से कम) VII	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	4050-100-4750-120-5590-140-6430 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	3960-100-4660-115-5465-135-6275 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3730-95-4395-110-5165-130-5945 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3620-90-4250-105-4985-125-5735 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3380-85-3975-100-4675-115-5365 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3135-80-3695-90-4325-110-4985 रु. (7) (7) (6)	20
	7	2905-75-3430-85-4025-100-4625 रु. (7) (7) (6)	20
30 लाख रु. और अधिक किंतु 60 लाख रु. से कम) VIII	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	3915-100-4615-115-5420-135-6230 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3715-95-4380-110-5150-130-5930 रु. (7) (7) (6)	20

	4	3560-90-4190-105-4925-125-5675 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3110-80-3670-90-4300-110-4960 रु. (7) (7) (6)	20
	6	2740-70-3230-80-3790-95-4360 रु. (7) (7) (6)	20
	7	2440-60-2860-70-3350-85-3860 रु. (7) (7) (6)	20
(30 लाख रु. से कम) IX	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	3850-75-4375-90-5005-100-5605 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3665-75-4190-85-4785-95-5355 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3355-65-3810-75-4335-85-4845 रु. (7) (7) (6)	20
	5	2860-55-3245-65-3700-75-4150 रु. (7) (7) (6)	20
	6	2590-50-2940-60-3360-65-3750 रु. (7) (7) (6)	20
	7	2290-45-2605-50-2955-60-3315 रु. (7) (7) (6)	20

सारणी-II
समाचार-पत्र प्रतिष्ठान
गैर-पत्रकार (कारखाना स्टाफ)

प्रतिष्ठान का वर्ग	कर्मचारियों का समूह	वेतनमान	वर्ष
1	2	3	4
(600 करोड़ रु. और इससे अधिक) Iबी	1	5700-315-7905-435-10950-600-14550 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	5475-300-7575-415-10480-575-13930 रु. (7) (7) (6)	20

	2	5010-275-6935-380-9595-530-12775 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4830-265-6685-370-9275-510-12335 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4660-255-6445-355-8930-490-11870 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4480-245-6195-340-8575-470-11395 रु. (7) (7) (6)	20
	6	4260-235-5905-325-8180-450-10880 रु. (7) (7) (6)	20
	(225 करोड़ रु. और इससे अधिक लेकिन 600 करोड़ रु. से कम) िए	1	5545-250-7295-330-9605-430-12185 रु. (7) (7) (6)
1ए		5330-240-7010-315-9215-415-11705 रु. (7) (7) (6)	20
2		4875-220-6415-290-8445-380-10725 रु. (7) (7) (6)	20
3		4700-210-6170-280-8130-365-10320 रु. (7) (7) (6)	20
4		4535-205-5970-270-7860-355-9990 रु. (7) (7) (6)	20
5		4365-195-5730-260-7550-340-9590 रु. (7) (7) (6)	20
6		4155-185-5450-245-7165-320-9085 रु. (7) (7) (6)	20
(75 करोड़ रु. और अधिक किंतु 225 करोड़ रु. से कम) ।		1	5250-235-6895-310-9065-410-11525 रु. (7) (7) (6)
	1ए	4990-225-6565-295-8630-390-10970 रु. (7) (7) (6)	20
	2	4570-205-6005-270-7895-355-10025 रु. (7) (7) (6)	20

	3	4420-200-5820-260-7640-345-9710 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4320-195-5685-255-7470-335-9480 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4150-185-5445-245-7160-320-9080 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3960-180-5220-235-6865-310-8725 रु. (7) (7) (6)	20
25 करोड़ रु. और इससे अधिक किंतु 75 करोड़ रु. से कम) II	1	5015-175-6240-220-7780-270-9400 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	4755-165-5910-205-7345-255-8875 रु. (7) (7) (6)	20
	2	4385-155-5470-190-6800-240-8240 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4280-150-5330-185-6625-230-8005 रु. (7) (7) (6)	20
	4	4195-145-5210-180-6470-225-7820 रु. (7) (7) (6)	20
	5	4020-140-5000-175-6225-220-7545 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3850-135-4795-170-5985-210-7245 रु. (7) (7) (6)	20
(11 करोड़ रु. और इससे अधिक किंतु 25 करोड़ रु. से कम) III	1	4755-165-5910-205-7345-255-8875 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	4550-160-5670-200-7070-250-8570 रु. (7) (7) (6)	20
	2	4280-150-5330-185-6625-230-8005 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4190-145-5205-180-6465-225-7815 रु. (7) (7) (6)	20

	4	4080-145-5095-180-6355-220-7675 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3910-135-4855-170-6045-210-7305 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3760-130-4670-165-5825-205-7055 रु. (7) (7) (6)	20
(5.50 करोड़ रु. और अधिक किंतु 11 करोड़ रु. से कम) IV	1	4535-135-5480-165-6635-200-7835 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	4335-130-5245-155-6330-190-7470 रु. (7) (7) (6)	20
	2	4140-125-5025-150-6065-180-7145 रु. (7) (7) (6)	20
	3	4050-120-4890-145-5905-175-6955 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3960-120-4800-145-5815-175-6865 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3825-115-4630-140-5610-2170-6630 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3560-105-4295-130-5205-155-6135 रु. (7) (7) (6)	20
(2.50 करोड़ रु. और अधिक किंतु 5.50 करोड़ रु. से कम) V	1	4280-130-5190-155-6275-190-7415 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	4170-125-5045-150-6095-185-7205 रु. (7) (7) (6)	20
	2	4045-120-4885-145-5900-175-6950 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3950-120-4790-145-5805-175-6855 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3860-115-4665-140-5645-170-6665 रु. (7) (7) (6)	20

	5	3670-110-4440-135-5385-160-6345 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3380-100-4080-120-4920-150-5820 रु. (7) (7) (6)	20
(1.25 करोड़ रु. और अधिक किंतु 2.50 करोड़ रु. से कम) VI	1	3950-100-4650-115-5455-135-6265 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	3850-95-4515-115-5320-135-6130 रु. (7) (7) (6)	20
	2	3750-95-4415-110-5185-130-5965 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3665-90-4295-105-5030-125-5780 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3585-90-4215-105-4950-125-5700 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3355-85-3950-100-4650-115-5340 रु. (7) (7) (6)	20
	6	3055-75-3580-90-4210-105-4840 रु. (7) (7) (6)	20
(60 लाख रु. और अधिक किंतु 1.25 करोड़ रु. से कम) VII	1	3750-95-4415-110-5185-130-5965 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	3665-90-4295-105-5030-125-5780 रु. (7) (7) (6)	20
	2	3570-90-4200-105-5935-125-5685 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3505-90-4135-105-4870-120-5590 रु. (7) (7) (6)	20
	4	3355-85-3950-100-4650-115-5340 रु. (7) (7) (6)	20
	5	3110-80-3670-90-4300-110-4960 रु. (7) (7) (6)	20

	6	2905-75-3430-85-4025-100-4625 रु. (7) (7) (6)	20
(30 लाख रु. और अधिक किंतु 60 लाख रु. से कम) VIII	1	3450-85-4045-100-4745-120-5465 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	3285-80-3845-95-4510-115-5200 रु. (7) (7) (6)	20
	2	3135-80-3695-90-4325-110-4985 रु. (7) (7) (6)	20
	3	3010-75-3535-90-4165-105-4795 रु. (7) (7) (6)	20
	4	2860-70-3350-85-3945-100-4545 रु. (7) (7) (6)	20
	5	2615-65-3070-75-3595-90-4135 रु. (7) (7) (6)	20
	6	2440-60-2860-70-3350-85-3860 रु. (7) (7) (6)	20
(30 लाख रु. से कम) IX	1	3325-65-3780-75-4305-85-4815 रु. (7) (7) (6)	20
	1ए	3175-65-3630-75-4155-85-4665 रु. (7) (7) (6)	20
	2	3025-60-3445-70-3935-80-4415 रु. (7) (7) (6)	20
	3	2905-60-3325-65-3780-75-4230 रु. (7) (7) (6)	20
	4	2740-55-3125-65-3580-70-4000 रु. (7) (7) (6)	20
	5	2490-50-2840-55-3225-65-3615 रु. (7) (7) (6)	20
	6	2290-45-2605-50-2955-60-3315 रु. (7) (7) (6)	20

सारणी - III**(पैरा 12 देखें)****महंगाई भत्ता**

मूल वेतन स्लैब	तिमाही क्षेत्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए संदेय भत्ता निर्धारित करने हेतु निष्प्रभावीकरण की दर
1. 5000 रु. तक	मूल वेतन 100%
2. 5001 रु. और 7000 रु. के बीच	मूल वेतन का 80% अथवा 5000 रु. का 100% जो भी अधिक हो।
3. 7001 रु. और 9500 रु. के बीच	मूल वेतन का 60% अथवा 7000 रु. का 80% जो भी अधिक हो।
4. 9501 रु. और 12500 रु. के बीच	मूल वेतन का 45% अथवा 9500 रु. का 60% जो भी अधिक हो।
5. 12500 रु. से अधिक	मूल वेतन का 40% अथवा 12500 रु. का 45% जो भी अधिक हो।

महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिए सूत्र:

$$\text{म.भ.} = \frac{\text{प्रश्नाधीन तिमाही के लिए औसत क्षेत्रीय सूचकांक}}{\text{वर्ष 1998 के लिए क्षेत्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही)}} \times \text{निष्प्रभावीकरण की दर} \times \text{मूल मजदूरी}$$

[वर्ष 1998 के लिए (अर्थात् 1997 की अंतिम तिमाही) क्षेत्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक]

सारणी - IV**(पैरा 13 देखें)****मकान किराया भत्ता की दरें मूल वेतन की प्रतिशतता प्रतिमाह**

समाचार-पत्र स्थापना का वर्ष	अंचल			
	क	ख	ग	घ
	दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई	राज्य की राजधानियों और 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर/नगर	10 से 20 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर/नगर	10 लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर/नगर
Iख	30%	25%	20%	18%
Iक	25%	20%	18%	15%
I	17%	15%	12%	9%
II	15%	13%	10%	8%
III	14%	11%	8%	7%
IV	13%	9%	7%	6%
V	12%	7%	6%	5%
VI	150 रूपये	125 रूपये	100 रूपये	100 रूपये
VII	150 रूपये	125 रूपये	100 रूपये	100 रूपये
VIII	150 रूपये	125 रूपये	100 रूपये	100 रूपये
IX	150 रूपये	125 रूपये	100 रूपये	100 रूपये

टिप्पणी: उल्लिखित मकान किराया भत्ता की दरें किसी क्षेत्र में किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के अंतर्गत कर्मचारियों के किसी समूह के लिए अधिकतम 4500 रु. प्रतिमाह के अध्यक्षीन होंगे।

सारणी -V
(पैरा 14 देखें)
प्रतिमाह नगर प्रतिपूर्ति भत्ता की दरें

वर्ग	अंचल			
	क	ख	ग	घ
	दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई	राज्य की राजधानियों और 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर/नगर	10 से 20 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर/नगर	10 लाख से कम की जनसंख्या वाले शहर/नगर
Iख	260	200	140	110
Iक	240	180	120	90
I	200	140	90	70
II	180	130	80	60
III	160	120	70	50
IV	140	100	60	40
V	120	80	50	30
VI	60	50	40	30
VII	60	50	40	30
VIII	60	50	40	30
IX	60	50	40	30

सारणी -VI
(पैरा 15 देखें)
रात्रिपारी भत्ता की दरें

समाचार प्रतिष्ठान का वर्ग	प्रति रात्रि पारी की दर
Iख	40 रु.
Iक	30 रु.
I	30 रु.
II	25 रु.
III	25 रु.

IV	20 रू.
V	20 रू.
VI	15 रू.
VII	15 रू.
VIII	10 रू.
IX	5 रू.

टिप्पणी : एक महीने में 15 रात से ज्यादा की गई रात्रि पारी झूटी के लिए दरें 38 प्रतिशत अधिक होंगे।

**सारणी -VII
(पैरा 17 देखें)
छुट्टी यात्रा भत्ता**

वर्ग	छुट्टी यात्रा भत्ता की दरें
I, II, III एवं IV	वेतनमान के न्यूनतम पर एक माह का मूल वेतन
V से VIII	वेतनमान के न्यूनतम पर तीन सप्ताह का मूल वेतन
IX	वेतनमान के न्यूनतम पर 15 दिनों का मूल वेतन

- टिप्पणी -** 1. छुट्टी भत्ता दो वर्षों के ब्लाक में एक बार स्वीकार्य होगा।
2. छुट्टी यात्रा भत्ता छुट्टी लेने और वास्तव में की गई यात्रा के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।

**सारणी -VIII
(पैरा 18 देखें)
चिकित्सा भत्ता**

वर्ग	चिकित्सा भत्ता
I एवं II	500 रुपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी
III एवं IV	250 रुपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी
V से VIII	150 रुपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी

बध्याय II

**समाचार एजेंसियों में श्रमजीवी पत्रकार और गैर-पत्रकार
समाचार-पत्र कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें।**

खण्ड I

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -** (1) इन सिफारिशों का संक्षिप्त नाम मनीसाना (मजदूरी बोर्ड) पंचाट है।
(2) यह पंचाट एक अप्रैल, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं- इस पंचाट में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (1) “अधिनियम” का अर्थ है श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तों) एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का XLV) ;
- (2) समाचार-पत्र प्रतिष्ठान के मामले में किसी विशेष वर्ष के संदर्भ में प्रयुक्त “लेखा वर्ष” का अर्थ एक अप्रैल को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से होगा। तथापि, यदि किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष से भिन्न हो तो इसका अर्थ उस प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से होगा जिसका किसी विशेष वर्ष में भिन्न हो तो इसका अर्थ उस प्रतिष्ठान के उस लेखा वर्ष से होगा जिसका किसी विशेष वर्ष में आधे से अधिक भाग आता है। उन समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के मामले में जिनका लेखा वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है, लेखा वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा जिसमें प्रथम छमाही आती है।
उदाहरण- यदि किसी समाचार-पत्र प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 जनवरी, 1998 से प्रारंभ होता है तो इस पंचाट में लेखा वर्ष 1998 के संदर्भ को लेखा वर्ष 1998-99 के लिए संदर्भ के रूप में माना जाएगा। पुनः यदि समाचार-पत्र का प्रतिष्ठान का लेखा वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है तो इस पंचाट में लेखा वर्ष 1998 के लिए संदर्भ को उक्त प्रतिष्ठान के लेखा वर्ष 1998-99 के लिए संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
- (3) “मूल वेतन” का आशय निर्धारित वेतनमान में आहरित किये गये वेतन से है। इसमें गतिरोध वेतन वृद्धि यदि कोई है, शामिल है किन्तु इसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन आदि जैसी अन्य प्रकार की किसी भी मजदूरी अथवा वेतन को शामिल नहीं किया जाता है।
- (4) “श्रेणी” का आशय किन्हीं ऐसे समाचार-पत्र कर्मचारियों से है जिनका इस पंचाट में विहित समूहों के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।
- (5) “समाचार एजेंसी के सकल राजस्व” का आशय सभी स्रोतों से प्राप्त किए गए राजस्व से है जिसमें इसकी सेवाओं की बिक्री करने से प्राप्त अंशदायी उपाय भी शामिल हैं।
- (6) “समाचार एजेंसी” का तात्पर्य समाचार एजेंसी अथवा समूह का कार्य करने वाला प्रतिष्ठान है, अर्थात् समाचार एजेंसी एक उपक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य समाचार और समाचार सामग्री एकत्र या संग्रह करना और उसे समाचार उद्यम समूह और असाधारण परिस्थितियों में, व्यक्तियों को यथा संभव पूर्ण और निष्पक्ष समाचार सेवा प्रदान करने की दृष्टि से भुगतान प्राप्त करके और व्यवसाय संबंधी कानूनों और परम्पराओं के अनुसार प्रदान करना।
- (7) “समाचार-पत्र कर्मचारी” का तात्पर्य श्रमजीवी पत्रकार या गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी या दोनों है।
- (8) “अनुसूची” का तात्पर्य इस पंचाट के साथ संलग्न अनुसूची है।
- (9) “सारणी” का तात्पर्य इस पंचाट के साथ संलग्न सारणी है।
- (10) “समाचार-पत्र प्रतिष्ठान” “श्रमजीवी पत्रकार” और “गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारी” शब्दों और अभिव्यक्तियों के तात्पर्य वहीं होंगे जो इन्हें अधिनियम में क्रमशः प्रदान किए गए हैं।

खण्ड - II

समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण

और

समाचार एजेंसी कर्मचारियों का समूहीकरण

3. समाचार एजेंसियों का वर्गीकरण- समाचार एजेंसियों में कर्मचारियों की मजदूरी दरों का नियतन या संशोधन करने के लिए समाचार एजेंसियों को तीन लेखा वर्षों 1995-96, 1996-97, और 1997-98 को औसत सकल आय के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा।

4. वर्गीकरण को जारी रखा जाना- इस अध्याय में किया गया वर्गीकरण तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि समाचार एजेंसी का इस अध्याय के पैरा 6 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वर्गीकरण न किया जाए।

5. समाचार एजेंसी का वर्गीकरण- समाचार एजेंसियों को इस अध्याय के पैरा 3 के अनुसार उनको सकल आय के आधार पर निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

वर्ग	सकल आय
I	30 करोड़ रु. और उससे अधिक
II	15 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 30 करोड़ रु. से कम
III	5 करोड़ रु. और उससे अधिक किन्तु 15 करोड़ रु. से कम
IV	5 करोड़ रु. से कम

नोट: विदेशी समाचार एजेंसियां, अर्थात् जो भारत में संचालित हो रही है किन्तु जिनका प्रधान कार्यालय भारत से बाहर है, वर्ग 1 की समाचार एजेंसियां समझी जाएंगी।

6. पुनर्वर्गीकरण -नियोक्ता या कर्मचारी दोनों में से कोई भी किसी समाचार एजेंसी का इस पंचाट के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष पश्चात् औसत सकल आय या तुरंत पूर्ववर्ती तीन लेखा वर्षों के आधार पर पुनर्वर्गीकरण करने की मांग कर सकते हैं:

वशर्ते कि ऐसे पुनर्वर्गीकरण की मांग तीन लगातार लेखा वर्षों के दौरान किसी अवधि में एक बार से अधिक नहीं की जाएगी।

7. समाचार कर्मचारियों का समूहीकरण-

- (1) समाचार एजेंसी में नियमित संवर्ग में श्रमजीवी पत्रकारों को प्रथम अनुसूची के अनुसार समूहबद्ध किया जाएगा; और समाचार एजेंसी में श्रमजीवी पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों की कार्यलय परिभाषाएं द्वितीय अनुसूची में वर्णित हैं।
- (2) गैर-पत्रकार समाचार एजेंसी कर्मचारियों को तृतीय अनुसूची के अनुसार समूहबद्ध किया जाएगा।

खण्ड III

मजदूरी और भत्तों का संशोधित मान

8. श्रमजीवी पत्रकार के लिए मजदूरी का संशोधित मान- (1) समाचार एजेंसी के विभिन्न वर्गों में श्रमजीवी पत्रकारों के प्रत्येक समूह की मजदूरी के संशोधित मान सारणी I में दिए गए हैं।

(2) प्रत्येक अंशकालिक संवाददाता/फोटोग्राफर को समान स्तर पर पूर्णकालिक संवाददाता/फोटोग्राफर को मिलने वाला मूल वेतन जमा मंहगाई भत्ते का 40 प्रतिशत से कम नहीं किया जाएगा, यदि उसकी तैनाती जिला मुख्यालयों और उसके ऊपर की जाती है और एक तिहाई से कम नहीं होगा यदि उसकी तैनाती जिला मुख्यालय के नीचे के स्थान पर की जाती है वशर्ते कि कोई अंशकालिक संवाददाता/ फोटोग्राफर दो समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों से अधिक के लिए कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा उसे कालम आधार पर भुगतान किया जाएगा, जिसकी दर आपसी बातचीत द्वारा तय की जायेगी।

टिप्पणी :- वर्ग -III तथा IV में आने वाले कर्मचारियों के लिए मजदूरी का कोई मान निर्धारित नहीं किया गया है।

9. गैर-पत्रकारों के लिए मजदूरी का संशोधित मान -

(1) समाचार एजेंसी के विभिन्न वर्गों में गैर पत्रकार एजेंसी कर्मचारियों के प्रत्येक समूह की मजदूरी के संशोधित मान सारणी -II में दिए गए हैं।

(2) प्रत्येक अंशकालिक कर्मचारियों अर्थात् निर्धारित कार्य घंटों से कम अथवा अधिक के लिए नियुक्त अंशकालिक कर्मचारी (अंशकालिक कार्य) कार्य करता है अथवा किसी नियमित कर्मचारी की छूटी करता है, तो उसे उस नियमित कर्मचारी की मजदूरी के समान यथाअनुपात आधार पर भुगतान किया जाएगा जितने घंटों के लिए उसको नियोजित किया गया है।

टिप्पणी:- वर्ष - III तथा IV में आने वाले कर्मचारियों के लिए मजदूरी का कोई मान निर्धारित नहीं किया गया है।

10. संशोधित वेतनमान में मजदूरी प्राप्त करना - (1) यदि इस पंचाट में अन्यथा प्रावधान न किया जाए तो कोई समाचार-पत्र कर्मचारी उस समूह के लिए लागू संशोधित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेगा जिस समूह से वह संबंधित है।

11. मंहगाई भत्ता -

(1) मंहगाई भत्ते की गणना का सूत्र तथा निष्प्रभावीकरण की दर तालिका -III में दिए गए हैं।

(2) मंहगाई भत्ते की दर के निर्धारण हेतु जिस तिमाही के क्षेत्रीय औसत सूचकांक का इस्तेमाल किया जाना हो, उस तिमाही के आंकड़े उपलब्ध होते ही मंहगाई भत्ते की मंजूरी दी जा सकती है। मंहगाई भत्ते की दर के निर्धारण हेतु जिस तिमाही के क्षेत्रीय औसत सूचकांक आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया हो, उसके तुरंत बाद शुरू होने वाली तिमाही से ही मंहगाई भत्ता देय होगा।

बशर्ते कि किसी क्षेत्र के लिए औद्योगिक कामगारों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के एक हिस्से के तौर पर श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी कार्यस्थल के लिए उपलब्ध न होने की स्थिति में, निकटतम केंद्र का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माना जाना चाहिए तथा जहां इस प्रकार का कोई केंद्र न हो, वहां राज्य की राजधानी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक माना जाना चाहिए, जिसका सूचकांक सर्वाधिक हो।

(3) श्रम ब्यूरो द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र संबंधी औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के अनुसार मंहगाई भत्ते की संशोधित दरें 1-4-98 से प्रवर्ती हो जाएगी।

स्पष्टीकरण:-इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए -

पंचाट के लागू होने की स्थिति से पूर्ववर्ती अवधि के संबंध में मंहगाई भत्ता विद्यमान दरें (असंशोधित) पर दिया जाएगा।

12. मकान किराया भत्ता - समाचार एजेंसी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में तैनात अपने कर्मचारियों को सारणी-IV में निर्धारित किराए भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि :-

(1) जहां किसी कर्मचारी को समाचार एजेंसी द्वारा आवास प्रदान किया जा रहा हो वहां कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(2) यदि किसी कर्मचारी को मकान किराए भत्ते का भुगतान किया जा रहा हो तो वह भुगतान इस प्रावधान के अंतर्गत देय मकान किराए भत्ते के साथ समायोजित किया जाएगा।

(3) जहां कोई समाचार एजेंसी किसी कर्मचारी की ओर से किसी निधि में किसी राशि का अंशदान करती हो ताकि वह अपने लिए आवास ले सके तो ऐसी राशि को इस प्रावधान के अंतर्गत देय मकान किराए भत्ते के साथ समायोजित किया जाएगा।

13. नगर प्रतिकर भत्ता - समाचार एजेंसी द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को नगर प्रतिकर भत्ते का भुगतान किया जाएगा कि सारणी - V में निर्धारित किया गया है।

14. रात्रि पारी भत्ता - समाचार एजेंसियों द्वारा अपने संबंधित कर्मचारियों को सारणी - VI में निर्धारित की गई दरों पर रात्रि पारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

15. विषय पारिस्थिति भत्ता - समुद्र तल से 5000 फुट (1524 मीटर) ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी क्षेत्र या अशांत क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को 250 रु. प्रति माह की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:-इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए 'अशांत क्षेत्र' का अर्थ है संबंधित अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार अर्थात् राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा घोषित अशांत क्षेत्र।

16. छुट्टी यात्रा भत्ता - कर्मचारी को सारणी - VII में निर्धारित की गई दरों पर छुट्टी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

17. चिकित्सा भत्ता:-सारणी - VIII में निर्धारित चिकित्सा भत्ते का भुगतान श्रेणी I और II में आने वाली समाचार एजेंसियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को किया जाएगा। तथापि, केवल उन कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा जो क.रा.बी.निगम के दायरे में नहीं आते।

18. संशोधित वेतनमान में आरंभिक वेतन का निर्धारण -संशोधित वेतनमान में किसी कर्मचारी का आरंभिक वेतन निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाएगा:-

- (क) नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान में वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित होगा।
- (ख) समाचार एजेंसी में पहले से ही कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतनमान में वर्तमान परिलब्धि से अगली अवस्था पर वेतन निर्धारित होगा।
- (ग) यदि संशोधित वेतनमान का न्यूनतम कर्मचारी द्वारा वर्तमान में ली जा रही परिलब्धियों की राशि से अधिक है तब संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन निर्धारित होगा।
- (घ) यदि कर्मचारियों की वर्तमान परिलब्धियों संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से अधिक हैं, तब संशोधित वेतनमान में अगली उच्चतम अवस्था पर उसका वेतन निर्धारित होगा।
- (ङ.) प्रत्येक कर्मचारी को प्रस्ताव के आरंभ होने की तारीख से तत्काल पहले धारित किए गए पद पर प्रत्येक चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के लिए संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।
- (च) संबंधित कर्मचारी द्वारा उस समाचार एजेंसी में किसी भी अन्य पद पर की गई सेवा, जिसके वेतनमान का न्यूनतम, कर्मचारी ने जिसमें कार्य किया हो उस वेतनमान के न्यूनतम के 30 प्रतिशत से अधिक कम न हो, को भी हिसाब में लिया जाएगा।
- (छ) वेतनवृद्धियों की कुल संख्या तीन से अधिक नहीं होगी।
- (ज) किसी भी कर्मचारी को संशोधित वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं मिलेगा।
- (झ) सभी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान प्रवर्तन की तिथि से लागू होंगे।

तथापि, अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत इन सिफारिशों को प्रभावी करते हुए सरकारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर यदि कोई कर्मचारी वर्तमान वेतनमान और "वर्तमान परिलब्धियां" रखने का विकल्प रखने का विकल्प चुनता है तो वह वर्तमान वेतनमान और ऐसी परिलब्धियों बनाए रखने का पात्र होगा।

- स्पष्टीकरण:** (1) किसी कर्मचारी की "वर्तमान परिलब्धियां" का अर्थ होगा उसका मूल वेतन अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1813 (आधार 1960=100) पर पारवर्ती मंहगाई भत्ता और 1 जनवरी, 1998 को अंतरिम राहत यदि कोई हो।
- (2) किसी कर्मचारी की "अतिरिक्त परिलब्धियां" का अर्थ होगा खण्ड (1) में निर्धारित विद्यमान परिलब्धियों के अलावा सामूहिक सौदेकारिता, अनुबंध अथवा पंचाट के परिणामस्वरूप मूल वेतन, मंहगाई भत्ते या अंतरिम राहत के रूप में समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों (समाचार एजेंसी) द्वारा स्वीकृत परिलब्धियां।
- (3) किसी कर्मचारी के "अतिरिक्त भत्ते" का अर्थ होगा कोई भी मासिक भुगतान चाहे किसी नाम से पुकारा जाए, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन से सम्बद्ध न हो और न ही वेतन या मंहगाई भत्ते के किसी संशोधन के साथ समायोजित किए जाने के लिए जिस पर सहमति हुई हो।

19. बकायों के भुगतान का तरीका -पूर्वव्यापी प्रचालन के परिणामस्वरूप पंचाट के प्रवर्तन की तिथि से देय बकायों, यदि कोई हो, का भुगतान पंचाट के प्रवर्तन की तिथि से तीस माह के भीतर 10 माह की तीन बराबर किश्तों में किया जाना चाहिए।

20. भत्तों के लागू होने की तिथि - पंचाट में इसके विपरीत किए गए अन्यथा प्रावधान के अलावा पंचाट में निर्धारित नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता और विषम परिस्थिति भत्ता 1-6-99 से लागू होगा।

अन्य भत्ते इस पंचाट के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

प्रथम अनुसूची

(समाचार एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों का समूहीकरण)

समूह 1 (विशेष): मुख्य सम्पादक, उप मुख्य सम्पादक।

समूह 1 सम्पादक मुख्य प्रस्तुतकर्ता (दूरदर्शन), प्रभागीय ब्यूरो का प्रमुख।

समूह 1 (क) मुख्य समाचार सम्पादक, फीचर सम्पादक, व्यापारिक सम्पादक, चित्र सम्पादक, क्षेत्रीय प्रबंधक ब्यूरो प्रमुख (कैपिटल), चुनिन्दा आधार पर विशेष संवाददाता।

समूह 1(ख) विशेष संवाददाता/प्रधान संवाददाता, विदेशी संवाददाता समाचार संपादक, मुख्य रिपोर्टर, मुख्य फोटोग्राफर राज्य ब्यूरो प्रमुख प्रस्तुतकर्ता (दूरदर्शन) प्रबंधक स्टॉक एक्सचेंज सेवाएं, प्रबंधक समाचार विनिमय, विशेष संवाददाता (दूरदर्शन) प्रबंधक राज्य राजधानी ब्यूरो।

समूह 2 मुख्य उप-संपादक, वरिष्ठ संवाददाता, मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष।

समूह 2क वरिष्ठ उप-संपादक, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष वरिष्ठ रिपोर्टर, वरिष्ठ फोटोग्राफर, सहायक प्रस्तुतकर्ता –सह-रिपोर्ट (दूरदर्शन)।

समूह 3 उप-संपादक रिपोर्टर, फोटोग्राफर तथा दूरदर्शन रिपोर्टर, पुस्तकालय अध्यक्ष।

टिप्पण:-

- (1) समाचार-पत्र के किसी भी कर्मचारी को भले ही उसका पदनाम उल्लिखित अनुसूची से भिन्न ही क्यों न हो, लेकिन अनुसूची के किसी भी समूह में उसी अथवा उसी तरह के अन्यथा उसी प्रकृति के कार्य के लिए उसी वर्ग का श्रमजीवी पत्रकार माना जाएगा।
- (2) यह आवश्यक नहीं कि अनुसूची में उल्लिखित सभी श्रेणियों के कर्मचारी हर वर्ग के समाचार प्रतिष्ठान में ही हों।

दूसरी अनुसूची

(कार्यात्मक परिभाषाएं)

1. "मुख्य संपादक" वह व्यक्ति है जो किसी समाचार एजेंसी का कर्त्ता-धर्त्ता होता है।
2. "उप मुख्य संपादक" वह व्यक्ति है जो मुख्य संपादक को अपना कर्तव्य निभाने में सहायता करता है तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए कार्य करता है।
3. "संपादक" वह व्यक्ति है जो समाचार एजेंसी के संपादकीय पत्र के कार्य का निर्देशन तथा पर्यवेक्षण करता है।
4. "प्रभागीय ब्यूरो का प्रमुख" वह व्यक्ति है जो सम्पूर्ण समाचार एजेंसी के केन्द्रीय समाचार डैस्क का प्रभारी होता है तथा महानगरीय केन्द्रों अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई तथा मद्रास में समाचार सेवाओं का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा निर्देशन करता है।
5. "मुख्य समाचार संपादक" वह व्यक्ति है जो उप मुख्य संपादक की उसके कर्तव्य निष्पादन में सहायता करता है तथा समाचार कार्यकलापों को समन्वित करता है।
6. "फीचर संपादक" वह व्यक्ति है जो फीचर संबंधी कार्य को करता है तथा समाचार एजेंसी की फीचर सेवा प्रकाशित करने का प्रभारी होता है।
7. "आर्थिक संपादक" वह व्यक्ति है जो समाचार एजेंसी की आर्थिक सेवा प्रकाशित करने का प्रभारी होता है।
8. "विज्ञान संपादक" वह व्यक्ति है जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेषज्ञ समाचारों से संबद्ध कार्य करता है तथा समाचार एजेंसी की विज्ञान सेवा प्रकाशित करने का प्रभारी है।
9. "वाणिज्यिक संपादक" वह व्यक्ति है जो वाणिज्य, वित्त, व्यवसाय तथा उद्योग को प्रभावित करने वाले समाचारों से संबद्ध कार्य करता है तथा उन पर टिप्पणियां देता है एक अथवा अधिक रिपोर्टों के कार्य का आबंटन तथा पर्यवेक्षण करता है।
10. "संपादक" समाचार एजेंसी की चित सेवा का संचालन करने और सेवा के समन्वयन का प्रभारी है।
11. "विशेष संवाददाता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसे संघ सरकार की मान्यता प्राप्त है और जिसका मुख्य कर्तव्य संसदीय समाचार राजनीतिक अथवा सामान्य महत्व के समाचार की रिपोर्ट करना है अथवा महानगरीय केन्द्र में ऐसे एक व्यक्ति से है जो आर्थिक महत्व अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्त के समाचार को कवर करता है)।
12. "प्रधान संवाददाता" से तात्पर्य राज्य की राजधानियों के संवाददाता से है जिसे राज्य सरकारों की मान्यताप्राप्त होती है।
13. "विदेशी संवाददाता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे देश अथवा देश के किसी भाग से समाचार कवरेज के लिए विदेश में तैनात किया जाता है।

14. "समाचार सम्पादक" वह व्यक्ति है जो महानगरीय केन्द्र में समाचार डैस्क अथवा क्षेत्रीय समाचारों का प्रभारी है तथा जो विभिन्न समाचार सेवाओं का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा मार्गदर्शन करता है।
15. "मुख्य रिपोर्टर" महानगरीय केन्द्र में वह व्यक्ति है जो उस केन्द्र के सभी रिपोर्टरों का प्रभारी है तथा वैधानिक राजनैतिक अथवा सामान्य महत्व के समाचारों को भी सूचना देता है।
16. "मुख्य फोटोग्राफर" वह व्यक्ति है जो फोटोग्राफर के कार्य का आबंटन तथा पर्यवेक्षण करता है।
17. "राज्य ब्यूरो प्रमुख" वह व्यक्ति है जो राज्य राजधानी में सभी प्रकार के समाचारों का मार्गदर्शन तथा उनके संकलन का निर्देशन करता है।
18. "मुख्य सम्पादक" महानगरीय केन्द्र में वह व्यक्ति है जो नियमित रूप से सम्पादकीय डैस्क पर एक पारी का कार्यभार संभालता है, उप-सम्पादकों को कार्य सौंपता है तथा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करता है।
19. "वरिष्ठ संवाददाता" महानगरीय केन्द्र में वह व्यक्ति है जिसका नियमित कर्तव्य संसदीय, राजनैतिक अथवा सामान्य महत्व के समाचार सूचित करना है अथवा वह व्यक्ति है जिसे नियमित रूप से आर्थिक तथा वाणिज्यिक महत्व, न्यायालयों तथा राष्ट्रीय खेलकूद समाचार एकत्र करने का कार्य सौंपा गया हो।
20. "वरिष्ठ उप-सम्पादक" महानगरीय केन्द्र में वह व्यक्ति है जिसे सम्पादकीय डेस्क पर मुख्य पारियों को छोड़कर किसी अन्य पारी का कार्यभार संभालने का कार्य नियमित रूप से सौंपा गया हो अथवा जिसके नियमित कर्तव्यों में विशेष ग्राहक को समाचार डिस्पैच करने को तैयारी शामिल है।
21. "वरिष्ठ रिपोर्टर" यह व्यक्ति है जिसके नियमित कर्तव्यों में राज्य सरकार के समाचारों अथवा राज्य विधान सभाओं की कार्यवाही को सूचना देना शामिल है।
22. "वरिष्ठ चित्रकार" यह व्यक्ति है जो जनहित के दायित्व निभाता है तथा जिसके पास कुछ अनुभव होता है और वह मुख्य चित्रकार को अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है।
23. "उप-सम्पादक" वह व्यक्ति है जो सभी विवरणों के समाचार मदों को प्राप्त करने, चुनने, संक्षिप्त करने, सार बनाने, विस्तृत करने, अनुवाद, सम्पादन तथा मुख्य शीर्षक बनाने का कार्य करता है तथा कुछ या सभी कार्य करता है।
24. "संवाददाता" यह व्यक्ति है जो डाक, तार अथवा अन्य साधनों द्वारा किसी भी केन्द्र से समाचार एकत्र करता है तथा भेजता है।
25. "रिपोर्टर" यह व्यक्ति है होता है जो समाचार एकत्र करके किसी विशिष्ट केन्द्र में प्रस्तुत करता है।
26. "चित्रकार" यह व्यक्ति होता है जो चित्रों के माध्यम से जनहित की घटनाओं के समाचार एकत्र करता है।
27. "दूरदर्शन रिपोर्टर" वह व्यक्ति है जो किसी विशिष्ट केन्द्र पर स्थित दूरदर्शन विंग के लिए समाचार एकत्र तथा प्रस्तुत करता है।
28. "मुख्य दूर दर्शन प्रस्तुतकर्ता" प्रैस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की दूरदर्शन सेवाओं का मुख्य प्रभारी होता है।
29. "क्षेत्रीय प्रबंधक" यह व्यक्ति है जो देश में पश्चिमी/उत्तरी/पूर्वी/दक्षिणी क्षेत्रों में समाचार एजेंसी की समाचार तथा अन्य सेवाओं का प्रभारी होता है।
30. चुनिंदा आधार पर "विशेष संवाददाता" वह विशेष संवाददाता है जिसे उच्चतर कार्यभार तथा उत्तरदायित्व के कर्तव्य निभाने के कारण उच्चतर श्रेणी में रखा गया है।
31. "स्टॉक विनिमय" सेवा प्रबंधक वह व्यक्ति है जो स्टॉक विनिमय सूचना तथा स्टॉक परीक्षण सेवा सूचनाओं को समन्वित करता है।
32. "दूरदर्शन प्रस्तुतकर्ता" प्रोग्रामिंग से संबंधित क्षेत्रों (अर्थव्यवस्था, सामाजिक मामले, शिक्षा समाचार) का प्रभारी होता है।
33. "विशेष संवाददाता" दूरदर्शन समाचार तथा सामाजिक मामलों को सूचित करने तथा यथासंभव प्रस्तुतीकरण का प्रभारी होता है।
34. "राज्य ब्यूरो राजधानी के अधीन प्रबंधक" वह व्यक्ति होता है जो राज्य राजधानी में सभी प्रकार के समाचारों का मार्गदर्शन निर्देशन तथा संकलन करता है।

35. "सहायक प्रस्तुतकर्ता" "सह-रिपोर्टर" प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ दूरदर्शन सेवा के लिए घटनाएं सूचित करेंगे, जिसमें अनुसंधान सब रिपोर्टिंग शामिल है, में सहायता करता है।

36. "प्रबंधक विनिमय" यह व्यक्ति है जो समाचार एजेंसी विनिमय कार्यक्रम का अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

37. "पुस्तकाध्यक्ष" यह व्यक्ति है जो समाचारों तथा विचारों, जिन्हें समाचार कहानियों के लिए पृष्ठभूमि अथवा सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, से संबंधित अभिलेख तैयार करता है तथा रखता है।

टिप्पणः (1) जॉब की ये परिभाषाएं बोर्ड द्वारा 29-07-99 को गठित समितियों को रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् बोर्ड के निर्णय के अध्यक्षीन हैं।

(2) अनुसूची में वर्णित पदनामों से भिन्न किसी समाचार एजेंसी में नियोजित कोई समाचार कर्मचारी, यदि समान अथवा समान प्रकृति के जॉब कर रहा है जो अनुसूची में किसी समूह में है, तो उसे उस समूह में श्रमजीवी पत्रकार के रूप में माना जाएगा।

तीसरी अनुसूची

(समाचार एजेंसियों में गैर-पत्रकार कर्मचारियों का समूहीकरण)

समूह 1:

- (क) प्रशासन प्रमुख वित्त नियंत्रक-सह सचिव।
- (ख) मुख्य अभियंता, लेखा प्रबंधक, (कार्मिक), लेखा अधिकारी, प्रबंधक (संवर्धन एवं विकास), प्रबंधक (तकनीकी समन्वयक), कार्मिक अधिकारी, मुख्य लेखाकार, कंपनी सचिव।
- (ग) उप मुख्य अभियंता आंतरिक लेखा परीक्षक एवं तत्सदृश प्रशासनिक पद।

समूह 2:

क्षेत्रीय अभियंता, क्षेत्रीय प्रसारण प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी एवं तत्सदृश पद, दृश्ययंत्र संपादक, अभियंता (टी.वी.) ध्वनि रिकार्डिस्ट, कैमरामैन, इलेक्ट्रॉनिक अभियंता (आर तथा टी) रोकडिया, वरिष्ठ यातायात पर्यवेक्षक, वरिष्ठ वाणिज्यिक पर्यवेक्षक।

समूह 3:

प्रसारण पर्यवेक्षक, अभियंता, केयर टेकर तथा अन्य तत्सदृश, उत्पादक सहायक, यातायात पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक (लेखा), प्रकाश सहायक, वाणिज्यिक पर्यवेक्षक।

समूह 4:

वरिष्ठ वाणिज्यिक पर्यवेक्षक, वरिष्ठ संचालक, वरिष्ठ मिस्त्री सहायक, आशुलिपिक, कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ यातायात सहायक, वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक।

समूह 5:

लिपिक, टंकक, मिस्त्री, कनिष्ठ संचालक, कुशल कर्मकार कार चालक, टेलीफोन संचालक, कनिष्ठ यातायात सहायक, कनिष्ठ वाणिज्यिक सहायक, कनिष्ठ सहायक(लेखा), कनिष्ठ सहायक।

समूह 6:

परिचारक, मशीन परिचारक, हवलदार, अभिलेखपाल, गेस्टेटर संचालक।

समूह 7:

चपरासी, स्वीपर, चौकीदार, माली, संदेशवाहक

- नोट:** (1): समाचार एजेंसियों के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के कार्यों की व्याख्या एवं श्रेणीकरण समाचार-पत्र उद्योग में हुए प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को देखते हुए इस निमित्त बनाई गई उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत किया जाएगा।
- (2): समाचार एजेंसियों को कोई समाचार-पत्र कर्मचारी जो किसी ऐसे पदनाम पर नियोजित है जिसका नाम इस अनुसूची में शामिल नहीं है किन्तु जो अनुसूची में उल्लिखित किसी समूह के किसी पद या उसी तरह के काम के लिए, या उसी तरह की या उसी प्रकृति के काम के लिए नियुक्त है, वह उस समूह में एक गैर-पत्रकार कर्मचारी माना जाएगा।
- (3): यह आवश्यक नहीं कि अनुसूची में उल्लिखित सभी श्रेणियों के कर्मचारी हर वर्ग के समाचार प्रतिष्ठान में हों हीं।

सारणी-*समाचार एजेंसी****श्रमजीवी-पत्रकार**

प्रतिष्ठान वर्ग	कर्मचारियों के समूह	वेतनमान	वर्ष
1	2	3	4
(30 करोड़ रुपये तथा उससे ऊपर)	1	कोई वेतन मान नहीं	
I	1ए	10540-580-14600-805-20235-910-25695 रु. (7) (7) (6)	20
	1बी	9690-535-13435-740-18615—840-23655 रु. (7) (7) (6)	20
	2	8945-490-12375-680-17135-940-22775 रु. (7) (7) (6)	20
	2ए	7115-390-9845-540-13625-750-18125 रु. (7) (7) (6)	20
	3	6440-355-8925-490-12355-680-16435 रु. (7) (7) (6)	20
(15 करोड़ रुपये और उससे ऊपर किन्तु 30 करोड़ रुपये से कम) II	1	कोई वेतन मान नहीं	
	1ए	10210-460-13430-605-17665-620-21385 रु. (7) (7) (6)	20 20
	1बी	9400-425-12375-555-16260-570-19680 रु. (7) (7) (6)	20 20
	2	8685-390-11415-515-15020-675-19070 रु. (7) (7) (6)	20 20

	2ए	6905-310-9075-410-11945-540-15185 रु. (7) (7) (6)	20 20
	3	6250-280-8210-370-10800-485-13710 रु. (7) (7) (6)	20

टिप्पण:- पत्रकारों की वेतन वृद्धि की दरें तुलनीय मूल वेतन वाले गैर-पत्रकारों की वेतन वृद्धि दरों के समान होंगी।

[* अधिसूचना संख्या का. आ. 1125(अ) दिनांक 15.12.2000 द्वारा प्रतिस्थापित]

सारणी-II

समाचार एजेंसी

गैर-श्रमजीवी -पत्रकार (प्रशासनिक कर्मचारी)

प्रतिष्ठान वर्ग	कर्मचारियों के समूह	वेतनमान	वर्ष
1	2	3	4
30 करोड़ रुपये तथा उससे ऊपर) I	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	7355-405-10190-560-14110-775-18760 रु. (7) (7) (6)	20
	3	6465-355-8950-490-12380-680-16460 रु. (7) (7) (6)	20
	4	5700-315-7905-435-10950-600-14550 रु. (7) (7) (6)	20
	5	5475-300-7575-415-10480-575-13930 रु. (7) (7) (6)	20
	6	4775-265-6630-365-9185-505-12215 रु. (7) (7) (6)	20
	7	4515-250-6265-345-8690-475-11530 रु. (7) (7) (6)	20
15 करोड़ रुपये तथा उससे ऊपर लेकिन 50 करोड़ रुपये से कम) II	1	कोई वेतनमान नहीं	
	2	7140-320-9380-420-12320-555-15650 रु. (7) (7) (6)	20
	3	6275-280-8235-370-10825-485-13735 रु.	20

	(7)	(7)	(6)	
4	5545-250-7295-330-9605-430-12185 रु.			20
	(7)	(7)	(6)	
5	5330-240-7010-315-9215-415-11705 रु.			20
	(7)	(7)	(6)	
6	4645-210-6115-275-8040-360-10200 रु.			20
	(7)	(7)	(6)	
7	4395-200-5795-260-7615-345-9685 रु.			20
	(7)	(7)	(6)	

सारणी-III

(पैरा संख्या -11 देखें)

महंगाई भत्ता

मूल वेतन स्लैब	तिमाही क्षेत्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित करने के लिए निष्प्रभावीकरण की दर
1. 5000/-रुपये तक	मूल वेतन का 100 प्रतिशत
2. 5001/रुपये और 7000/-रुपये के बीच	मूल वेतन का 80 प्रतिशत अथवा 5000 रुपये का 100 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
3. 7001/-रुपये और 9500/-रुपये के बीच	मूल वेतन का 60 प्रतिशत अथवा 7000 रुपये का 80 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
4. 9501/-रुपये और 12500/-रुपये के बीच	मूल वेतन का 45 प्रतिशत अथवा 9500 रुपये का 60 प्रतिशत जो भी अधिक हो।
5. 12501/-रुपये से अधिक	मूल वेतन का 40 प्रतिशत अथवा 12500 रुपये का 45 प्रतिशत जो भी अधिक हो।

महंगाई भत्ते की संगणना करने के लिए सूत्र:

$$\text{संबंधित तिमाही के लिए औसत क्षेत्रीय सूचकांक} \times \text{वर्ष 1998 (अर्थात 1997 की अंतिम तिमाही) के लिए क्षेत्रीय उ.मू.सू.} \times \text{निष्प्रभावीकरण की दर} \times \text{मूल मजदूरी}$$

म.भ. = _____

वर्ष 1998 (अर्थात 1997 की अंतिम तिमाही) के लिए क्षेत्रीय उ.मू.सू.

सारणी-IV

(पैरा संख्या -12 देखें)

मकान किराया भत्ते की दरें (मूल वेतन प्रतिमाह का प्रतिशत)

समाचार-पत्र प्रतिष्ठान की श्रेणी	क्षेत्र			
	क	ख	ग	घ
	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई	20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य की राजधानियां व शहर/नगर	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर/नगर	10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/नगर
I	30%	25%	20%	18%
II	25%	20%	18%	15%

टिप्पणी:- ऊपर दी गई मकान किराया भत्ते की दरें किसी भी क्षेत्र में समाचार एजेंसी की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत कर्मचारियों के किसी भी समूह के लिए अधिकतम 4500/-रुपये प्रतिमाह के अध्यक्षीन होंगी।

सारणी-V

(पैरा संख्या -13 देखें)

नगर प्रतिकर भत्ता प्रतिमाह की दरें

समाचार-पत्र प्रतिष्ठान की श्रेणी	क्षेत्र			
	क	ख	ग	घ
	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई	20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य की राजधानियां व शहर/नगर	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहर/नगर	10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर/नगर
I	260	200	140	110
II	240	180	120	90

सारणी-VI

(पैरा संख्या -14 देखें)

नगर प्रतिकर भत्ता प्रतिमाह की दरें

समाचार-पत्र प्रतिष्ठान की श्रेणी	प्रति रात्रि पारी दरें
I	40/-रुपये
II	30/-रुपये

टिप्पणी: एक माह में 15 रात्रियों से अधिक रात्री पारी झूटी करने के लिए दरें 38% अधिक होंगी।

सारणी-VII
(पैरा संख्या -18 देखें)
छुट्टी यात्रा भत्ता

श्रेणी	छुट्टी यात्रा भत्ते की दरें
I और II	वेतनमान के न्यूनतम पर एक माह का मूल वेतन

- टिप्पणी:** 1. छुट्टी यात्रा भत्ता दो वर्षों के ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगा।
2. छुट्टी यात्रा भत्ते को मंजूरी छुट्टी लेने और यात्रा वास्तव में करने के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है।

सारणी-VIII
(पैरा संख्या -17 देखें)
चिकित्सा भत्ता

श्रेणी	चिकित्सा भत्ता
I और II	500/-रुपये प्रतिमाह प्रति कर्मचारी

[फा. सं. एस- 14016/2/2015-डब्ल्यूबी]

बिजयानंद पट्टनायक, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

ORDER

New Delhi, the 14th May, 2019

S.O. 1731(E). –Whereas, the Central Government constituted two wage Boards to fix or revise rates of wages for journalists and non-journalist newspaper employees and news agency employees, under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) (hereinafter referred to as the said Act) by the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Labour *vide* numbers S. O. 641 (E) and S.O. 642 (E), dated the 2nd September, 1994 respectively;

And Whereas, the said Wage Boards submitted their recommendations (Manisana Wage Board Recommendations) to the Central Government on the 25th day of July, 2000; and the said recommendations were accepted by the Central Government as contained in “PART THREE” of the said Report;

And Whereas, in exercise of the powers conferred by section 12 of the said Act two orders, with such modifications specified therein in PART THREE of the said Report, were notified *vide* notification numbers S.O. 1086 (E), dated the 5th December, 2000 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1125(E), dated the 15th December, 2000 (hereinafter referred to as the said two notifications);

And Whereas, the said two notifications were struck down by the High Court of Karnataka *vide* its Order dated 1st February, 2006 and by the High Court of Delhi *vide* its Order dated 21st November, 2006, respectively;

And Whereas, in W.P (C) No. 5226 of 2010 (in Sri Achutha Rao and others vs. Union of India, Manisana Wage Board and Manipal Media Network Limited), the High Court of Karnataka *vide* its Order dated 21st January, 2011 disposed of the writ petition after noting that Manipal Media Network Limited was agreeable to implementing the Manisana Wage Board Award in the case of its employees;

And Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 12 of the said Act and in supersession of the said two notifications, notified the Majithia Wage Board recommendations *vide* notification number S.O. 2532 (E), dated 11th November, 2011;

And Whereas, while the matters stood like that, the Statesman Mazdoor Union filed a fresh writ petition W.P (C) No. 6319 of 2014 before High Court of Delhi to direct the Central Government to re-notify both the said two notifications;

And Whereas, the Single Judge of the High Court of Delhi disposed of the W.P (C) No. 6319 of 2014 *vide* his judgment dated 6th July, 2018 with a direction that the judgment dated 1st February, 2006 of the High Court of Karnataka did not survive in view of the subsequent Order of the said High Court, dated 21st January, 2011 passed in Achutha Rao and others vs. Union of India and others in W.P (C) No. 5226 of 2010; and further directed the Central Government to dispose of the representation of the Statesman Mazdoor Union after following the due procedure as laid down under the said Act;

And Whereas, a Letters Patent Appeal No. 549 of 2018 as against the said Order dated 6th July, 2018 was preferred by the Statesman Limited; and while disposing of the said Letters Patent Appeal, the Division Bench of the High Court of Delhi has, *inter alia*, observed that implementation of the Majithia Wage Board recommendations will not efface the Manisana Wage Board recommendations and there is no limitations for the exercise of powers by the Central Government under section 12 of the said Act;

And Whereas, in pursuance of the said Order of the High Court of Delhi in the said Letters Patent Appeal, the Central Government proposes to make an Order with necessary modifications to the Manisana Wage Board recommendations merging the said two notifications which in its opinion effect important alterations in the character of the said recommendations; and the said two notifications notifying the Manisana Wage Board recommendations which were in force immediately before the 1st day of February, 2006 shall be deemed to be and deemed always to have been in force at all material times;

Now, therefore, in pursuance of the proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), notice is hereby given to all persons likely to be affected by the following modifications to make their representation in writing within a period of thirty days from the date of publication of this Order, namely:—

I. In Part Three, in Chapter 1 of the Recommendations of the Wage Boards for working journalists and non-journalist newspaper employees (other than newspaper employees in news agency),—

(a) in paragraph 9, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) Wages of part-time Correspondent and Photographer shall be paid not less than fifty per cent of the basic pay plus dearness allowance applicable to a full-time Correspondent and Photographer at similar level if he is working at District Headquarters and above subject to the condition that no part time Correspondent and Photographer shall work for more than two newspaper establishments. The wages shall not be less than one third if the Correspondent and Photographer is posted at a place below District level subject to the condition that he shall not work for more than three newspapers. In addition to it, payment of wages shall be on column basis, the rate of which may be decided by mutual negotiations.”.

(b) in paragraph 12,—

(i) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(2) Dearness allowance may be sanctioned as soon as the figures for the quarter for which average All India Consumer Price Index is to be used for determining rate of dearness allowance becomes available. Dearness allowance will become payable from the beginning of the quarter immediately succeeding the quarter for which average All India Consumer Price Index figures are used for determining rate of dearness allowance.”.

(ii) in sub-paragraph (3), the words “for regional centre” shall be omitted;

(c) in paragraph 21,—

(i) for the word “thirty”, the word “eighteen” shall be substituted;

(ii) for the figures “10”, The figure “6” shall be substituted,

(d) in The First Schedule, in Group 3A, for the words “Proof Reader including advertising Proof Reader and Planner”, the words “Proof Reader including Advertising Proof Reader, Planner and Scanner Operator” shall be substituted.

(e) in The Second Schedule, in Group 3A, the following shall be inserted at the end, namely:—

“Scanner/Scanner Operator means a person who scan the photograph/colour advertisements/illustrations and colour correction of photographs and transparencies.”.

(f) in The Fourth Schedule, in Group I, the words “Scanner/Scanner Operator” shall be omitted;

(g) in Table I, the following Note shall be added at the end, namely :—

“Note : The rates of increment shall be the same for the same basic pay of journalists and non-journalists having comparable basic pay.”;

(h) for Table III, the following Table be substituted, namely :—

“Table III
(See para 12)
Dearness Allowance

Basic pay slabs over	Rate of neutralization for determining Dearness Allowance Payable quarterly All India Consumer Price Index Number.
1. Upto Rs. 5000	100% of basic pay.
2. Between Rs. 5001 and Rs. 7000.	80% of basic pay or 100% of Rs. 5000, whichever is higher.
3. Between Rs. 7001 and Rs. 9500.	70% of basic pay or 80% of Rs. 7000, whichever is higher.
4. Between Rs. 9501 and Rs. 12500.	60% of basic pay or 70% of Rs. 9500, whichever is higher.
5. Above Rs. 12500.	50% of basic pay or 60% of Rs. 12500, whichever is higher.

Formula for calculating Dearness Allowance:

$$D.A. = \frac{[\text{Average all India CPI for the Qr. in question}] \text{ minus } [\text{AICPI No. for the year 1998 (i.e. last quarter of 1997)}]}{[\text{AICPI number for the year 1998 (i.e. last Qr. of 1997)}]} \times \text{Rate of neutralisation} \times \text{Basic Pay}$$

- (i) in Table IV, for the Note, the following Notes shall be substituted, namely :—

“Note I. The rates of house rent allowance mentioned above are subject to a maximum of rupees four thousand and five hundred per month for any group of employees under any class of newspaper establishments in any zone.

Note II. The house rent allowance for class of newspaper establishments from VI to IX shall be fixed at the level as recommended by the Wage Boards or the one which the employee is drawing, whichever is higher.”;

- (j) in Table VII, for the word "minimum", wherever it occur, the word "actual" shall be substituted;
- II. In Part Three, in Chapter II of the Recommendations of the Wage Boards for working Journalists and non-journalist newspaper employees in news agencies.—
- (a) in paragraph 8, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(2) Wages of part-time Correspondent and Photographer shall be paid not less than fifty per cent of the basic pay plus dearness allowance applicable to a full-time Correspondent and Photographer at similar level if he is working at District Headquarters and above subject to the condition that no part-time Correspondent and Photographer shall work for more than two newspaper establishments. The wages shall not be less than one third if the Correspondent and Photographer is posted at a place below District level subject to the condition that he shall not work for more than three newspapers. In addition to it, payment of wages shall be on column basis, the rate of which may be decided by mutual negotiations.”;
- (b) in paragraph 11,—
- (i) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:--
- "(2) Dearness allowance may be sanctioned as soon as the figures for the quarter for which average All India Consumer Price Index is to be used for determining rate of dearness allowance becomes available. Dearness allowance will become payable from the beginning of the quarter immediately succeeding the quarter for which average All India Consumer Price Index figures are used for determining rate of dearness allowance.”;
- (ii) in sub-paragraph (3), the words "for regional centre" shall be omitted;
- (c) in paragraph 19,—
- (i) for the word "thirty", the word "eighteen" shall be substituted;
- (ii) for the figures "10", the figure "6" shall be substituted;

- (d) in Table I, the following Note shall be added at the end, namely :—
"Note.—The rates of increment shall be the same for the same basic pay of journalists and non-journalists having comparable basic pay.";
- (e) for Table III, the following Table shall be substituted, namely :—

“Table III
(See para 11)
Dearness Allowance

Basic pay slabs	Rate of neutralization for determining Dearness Allowance Payable over quarterly All India Consumer Price Index Number.
1. Upto Rs. 5000/-	100% of basic pay.
2. Between Rs. 5001/- and Rs. 7000/-	80% of basic pay or 100% of Rs. 5000, whichever is higher
3. Between Rs. 7001/- and Rs. 9500/-	70% of basic pay or 80% of Rs. 7000, whichever is higher.
4. Between Rs. 9501/- and Rs. 12500/-	60% of basic pay or 70% of Rs. 9500, whichever is higher.
5. Above Rs. 12500/-	50% of basic pay or 60% of Rs. 12500, whichever is higher.

Formula for calculating Dearness Allowance:

$$D.A. = \frac{[\text{Average All India CPI for the Qr. in question}] \text{ minus } [\text{AICPI No. for the year 1998 (i.e. last quarter of 1997)}]}{[\text{AICPI number for the year 1998 (i.e. last Qn of 1997).}] } \times \text{Rate of neutralisation} \times \text{Basic Pay}$$

- (f) in Table VII, for the word "minimum", the word "actual" shall be substituted.

PART THREE

Chapter I

Recommendation of the Wage Boards for working journalists and non-journalist newspaper employees (other than newspaper employees in news agency)

Section I

Preliminary

Short title and commencement.—(1) These recommendations may be called the Manisana (Wage Board) Award.

(2) The Award shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1998 in respect of the newspaper establishments of Classes III and above and on the first day of June, 1999 in respect of the newspaper establishments of Classes IV and V and on the first day of April, 2000 in respect of the newspaper establishments of Classes VI to IX.

2. Definitions.— In this Award, unless the context otherwise requires,—

- (1) "Act" means the Working Journalist and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (XLV of 1955);
- (2) "Accounting year" used with reference to a particular year shall in the case of newspaper establishment mean financial year, the year commencing on the first day of April. In case, however, the accounting year of a newspaper establishment is different from financial year it shall mean that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year. In case of the newspaper establishment whose accounting year starts from the 1st day of October, the accounting year would be that year in which the first six months fall.

Illustration.—If the accounting year of a newspaper establishment starts from the 1st day of January 1998, reference to the accounting year 1998 in this Award shall be construed as reference to accounting year 1998-99. Again, if the accounting year of the newspaper establishment starts from the 1st day of October, reference to accounting year 1998 in this Award will be construed as reference to the accounting year 1998-99 of that establishment.

- (3) "Basic wage" means wages drawn in the prescribed scale of wages, including stagnation increment, if any, but does not include any other type of wages or pay, like special pay, personal pay, etc.
- (4) "Category" means any or those newspaper employees mentioned under the groups set out in this Award.
- (5) "Gross revenue" of a newspaper establishment (other than news agency) means revenue derived by the establishment from all sources of its newspaper business, including circulation of and advertisement in its newspaper or newspapers, and also includes income from the assets acquired and investments made by it out of funds earned in the newspaper business.

Explanation.--For the purpose of this clause,—

- (i) revenue in respect of circulation and advertisement shall be taken to be the amount arrived at after deducting the commission actually allowed to the extent to which the amount of commission so allowed is reasonable.
- (ii) reasonable commission is one which is finally accepted by the Income-tax Authorities in case of a particular newspaper establishment. In cases where no such final decision of the Income-tax Authorities is available, the circulation commission shall be 28 per cent and the advertisement commission shall be 15 per cent of the respective revenues.
- (6) "Newspaper employees" means working journalist, or non-journalist newspaper employee, or both.
- (7) "Schedule" means a schedule annexed to this Award.
- (8) "Table" means a table annexed to this Award.
- (9) The words and expressions "newspaper establishment", "working journalist" and "non-journalist newspaper employee" shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Section II Classification of Newspaper Establishments and grouping of newspaper employees

3. Classification of newspaper establishments.—For the purpose of fixation or revision of rates of wages in respect of working journalists and non-journalist newspaper employees (other than the news agencies), newspaper establishments shall be classified in the manner hereinafter provided—

- (a) (i) Classification of newspaper establishments shall be based on the average gross revenue of three (3) accounting years 1995-96, 1996-97 and 1997-98. The different departments, branches and centres of newspaper establishment shall be treated as parts thereof.
- (ii) Notwithstanding the clubbing of different departments, branches or centres of newspaper establishments on the basis of their own gross revenue, the units of the newspaper establishments of all the classes as categorised in paragraph 6 of this chapter shall not be stepped up by more than two classes over and above the classes to which they belong according to their gross revenue, as a result of clubbing.

Explanation,—For the purpose of this clause,—

If there are different units/branches/companies of one classified newspaper establishment in one town or city and adjoining areas, even though carrying different names, will be treated as one single unit of that newspaper establishment.

- (b) In the case of a newspaper establishment completing two out of the aforementioned three (3) accounting years, its classification shall be determined on the basis of its average gross revenue for those two years.
- (c) In the case of a newspaper establishment which has completed only one year of the said accounting years, its classification shall be determined on the basis of its gross revenue for that year.
- (d) A new newspaper establishment, that is to say, a newspaper establishment to which the provisions of clauses (a), (b) and (c) above do not, in terms apply, is liable to be classified after the completion of its first accounting year on the basis of its gross revenue for that year.

Provided that—

Notwithstanding anything contained in clauses (b), (c) and (d) above, a newspaper establishment which is classified on the basis of two (2) accounting years shall be placed one class lower than the class in which it is liable to be placed and a newspaper establishment which is classified on the basis of one accounting year, two classes lower. In either case, it shall not be lower than Class IX.

4. Continuance of classification.—The classification determined in accordance with the provisions of this Chapter shall continue until the newspaper establishment is reclassified in accordance with the provisions of para 7 of this Chapter.

5. Change of ownership.—If the ownership of the newspaper establishment is transferred by one person to another, the provisions of paras 3 and 4 of this Chapter shall apply to such newspaper establishment as if the gross revenue of the newspaper establishment for the relevant accounting years under the previous owner were its revenue for those years under the new owner.

6. Classes of newspaper establishments.—Newspaper establishments shall be classified under the following classes on the basis of their gross revenue as per para(a) of this Chapter.

Class	Gross Revenue
IB	Rs. 600 crore and above;
IA	Rs. 225 crore and above but less than Rs. 600 crores;
I	Rs. 75 crore and above but less than Rs. 225 crore;
II	Rs 25 crore and above but less than Rs. 75 crore;
III	Rs. 11 crore and above but less than Rs. 25 crore;
IV	Rs. 5.5 crore and above but less than Rs. 11 crore;
V	Rs. 2.5 crore and above but less than Rs. 5.5 crore;
VI	Rs. 1.25 crore and above but less than Rs. 2.5 crore;
VII	Rs. 60 lakh and above but less than Rs. 1.25 crore;
VIII	Rs. 30 lakh and above but less than Rs. 60 lakh;
IX	Less than Rs. 30 lakh.

Explanation,—In this para,—

- (a) Gross revenue of the circulation and advertisement clubbed together derived by a newspaper establishment, other than one falling in Class IX, if the advertisement revenue is less than 55% of its aforesaid revenue then it should be placed in the class next below the class in which it would fall on the basis of its total average gross revenue.
- (b) Gross revenue of the circulation and advertisement clubbed together derived by a newspaper establishment, other than one falling in class IX, if the advertisement revenue is less than 45% of its aforesaid revenue, then it should be placed two classes below the class in which it would fall on the basis of its total average gross revenue.
- (c) Newspaper establishment, other than one falling in Class IX, publishing Indian language newspapers from a district town and not having more than two publications and whose advertisement revenue is less than 60 per cent of the total gross revenue, will be placed one class below the class in which it would fall on the basis of its total gross revenue.
- (d) No newspaper establishment shall be deemed to be below class IX.

7. Reclassification.—It shall be open either to the employer or to the employees to seek a reclassification of a newspaper establishment at any time after one year from the date of the enforcement of the Award on the basis of the average gross revenue of the three (3) immediately preceding accounting years: Provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of three (3) consecutive accounting years.

8. Grouping of Newspaper employees.—(1) Working Journalists in the regular cadre in newspaper establishments of classes IB to IX shall be grouped as under the First Schedule; and functional definitions of various categories of working journalists are described in the Second Schedule.

(2) Non-Journalist newspaper employees in the administrative staff in the regular cadre in newspaper establishments of classes IB to IX shall be grouped as under the Third Schedule;

- (3) Grouping of factory staff for all newspaper establishments shall be as under the Fourth Schedule.

Section III Revised Scales of Wages and Allowances

9. **Revised scale of wages for working journalist**— (1) The revised scale of wages of each group of the Working Journalists in different classes of newspaper establishments is prescribed in Table I.

(2) Every part-time correspondent/photographer shall be paid not less than 40 per cent, if he is posted at district head-quarters and above and not less than 1/3rd. if he is posted at place below district head-quarters, of the basic pay plus DA applicable to a full-time correspondent/photographer at similar level provided that no part-time correspondent/photographer will work for more than two newspaper establishments. In addition, payment shall be paid to him on column basis, the rate of which to be settled by mutual negotiations.

10. **Revised scale of wages for non-journalist**.— (1) The revised scales of wages of each group of the Non-Journalist newspaper employees in different classes of newspaper establishments is prescribed in Table II.

(2) Every time-rated employee, that is to say, a person employed to work as time-rate employee (time-work) for either less or more than prescribed working hours and performs the job. or does the duty of a regular employee, shall be paid on pro-rata basis equivalent to the wages of the regular employee on the basis of number of hours for which he is employed

11. **Drawal of wages in the revised scales**.—(1) Save as otherwise provided in this Award, a newspaper employee shall draw wages in the revised scale applicable to the group to which he belongs.

12. **Dearness Allowance**.—(1) Formula for calculating dearness allowance and rate of neutralization are prescribed in Table III.

(2) Dearness Allowance may be sanctioned as soon as the figures for the quarter for which average regional index is to be used for determining rate of dearness allowance becomes available. Dearness allowance will become payable from the beginning of the quarter immediately succeeding the quarter for which average regional index figures are used for determining rate of dearness allowance.

Provided that where a work place for which CPI number as compiled by Labour Bureau, Shimla, as a part of All-India Consumer price Index for Industrial Worker for a region is not available, the CPI number of the nearest centre should be adopted and where there is no such centre, CPI number of the State capital should be adopted. If however, there is no regional CPI number in the State capital, the CPI number of any centre in the State, which is the highest, shall be adopted.

(3) The revised rates of dearness allowance shall be paid according to average All-India Consumer price Index Number (1982=100) for regional centre compiled by Labour Bureau for industrial worker and will become operative for classes III and above from the first day of April 98 and for classes IV and V from the first day of June 1999 and for classes VI to IX from the first day of April 2000.

Explanation.—For the purpose of this paragraph,—

The Dearness Allowance in respect of the period preceding the date of operation of the Award shall be given at the existing rates (not revised).

13 **House rent allowance**.—House rent allowance prescribed in Table IV shall be paid by newspaper establishments to employees posted in the respective zones :

Provided that—

(1) Where an employee is provided residential accommodation by newspaper establishment, no house rent allowance will be payable.

(2) if an employee is being paid house rent allowance, the same will be adjusted against the amount of house rent allowance payable under this provision.

(3) where a newspaper establishment contributes on behalf of an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against house rent allowance payable under this provision.

14. **City compensatory allowance**.—City compensatory allowance prescribed in Table V shall be paid by newspaper establishments to their employees posted in their respective zones.

15. **Night shift allowance**.—Night shift allowance at the rates prescribed in Table VI shall be paid by the newspaper establishment to their respective employees.

16. **Hardship allowance.**— An employee working in hilly area above 5000 ft. (1524 metres) from the sea level or in a disturbed area shall be paid a lump sum of Rs. 250 per month.

Explanation.—For the purpose of this para, "disturbed area" means disturbed area declared by the appropriate Government, i.e., State Government or Central Government, as the case may be, under the relevant Act. The Hardship Allowance shall not be applicable to the employees who are working in publications brought out from any of the areas aforesaid, and also to the employees working in classes VI to IX.

17. **Leave travel allowance.**—An employee shall be paid leave travel allowance at the rates prescribed in Table VII, except the employees working in newspaper establishments falling in Classes VI to IX

18. **Medical Allowance.**—The employees working in newspaper establishments falling in Classes V and above shall be paid medical allowance prescribed in Table VIII. However, only those employees will be paid who are not covered by the Employees State Insurance Corporation (ESIC).

19. **Medicare Insurance.**—The newspaper establishments falling in Classes VI to IX shall provide medicare insurance cover for all of their employees and the premium to be paid to an Insurance Company shall be limited to Rs 900/- per year per employee.

20. **Fixation of initial wage in the revised scale.**—The initial wage of an employee in the revised scale shall be fixed in the following manner—

- (a) For the new entrant, the wages shall be fixed in the revised scale at the minimum of the scale.
- (b) In the case of employees already working, in the establishment, the wages shall be fixed in the revised scale at the stage next above the existing emolument.
- (c) If the minimum of the revised scale is higher than the amount of the emoluments being presently drawn by the employee, the wages shall be fixed at the minimum of the revised scale.
- (d) If the existing emoluments of an employee are higher than minimum of the revised scale, the wages shall be fixed at the next higher stage in the revised scale
- (e) Every employee shall be given one increment in the revised scale for completion of every four years service in the post held immediately before the date of the commencement of the Award.
- (f) The service rendered by the concerned employee in any other post carrying a scale in that establishment, the minimum of which is lower by not more than 30% of the minimum of the scale in which the employee worked shall also be taken into account.
- (g) The total number of increments shall not be more than three.
- (h) No employee shall get more than the maximum of the revised scale.
- (i) The revised scales shall become applicable to all employees with effect from the date of operation of all respective classes. However, if an employee within three weeks from the date of publication of Government Notification, under section 12 of the Act enforcing these recommendations, opts for retaining his existing pay scale and "existing emoluments" he shall be entitled to retain his existing scale and such emoluments.

Explanation:

- (a) The "existing emoluments" of an employee shall mean his basic pay, variable dearness allowance at the All-India Consumer Price Index Number 1813 (base 1960=100) and interim relief as on the 1st day of January 1998.
- (b) The "additional emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "existing emoluments" described in clause (a) granted by newspaper establishment, as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in basic wage, dearness allowance or interim relief.
- (c) The "additional allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or dearness allowance.

21. **Mode of payment of arrears:** The arrears payable from the date of enforcement of the award, if any, as a result of retrospective operation, should be paid within thirty months from the date of enforcement of the Award in three equal 10 monthly installments.

Provided that—

No arrears prior to 31-3-2000 shall be paid by the newspaper establishment who suffered heavy cash losses consecutively in three accounting years preceding the date of application of the Award. However, those newspaper establishments will be required to fix salaries or wages of their employees on notional basis in the revised scales of pay with effect from the respective date of application of the Award and shall pay the same from the first day of April, 2000.

Provided further that

- (i) The amount of Interim Relief, i.e. 20% of the Basic pay and an additional amount of Rs. 100. paid before the Award came to force, shall not be recoverable.

22. Date of Operation of Allowances

Except as otherwise provided in the Award, to the contrary, the CCA, HRA and Hardship Allowance prescribed in the Award shall be effective from 01-06-99 in respect of employees working in newspaper establishments falling in classes from IB to V and from 01-04-2000 in respect of employees working in newspaper establishments falling in Classes from VI to IX.

Other allowances shall be effective from the date of notification of the Award.

THE FIRST SCHEDULE (Grouping of Working Journalists, Classes IB to IX) (See para 8)

Group I—Editor

Group IA— Executive Editor, Resident Editor, Associate Editor, Joint Editor, Deputy Editor.

Group IB—Assistant Editor, Leader Writer, Chief of News Bureau, News Editor, Special Correspondent.

Group 2—Deputy or Assistant News Editor, Chief Reporter, Chief Sub-Editor, Sports Editor, Commercial Editor, Film Editor, Magazine Editor, Cartoonist, Chief of Statistical or Research Division, Chief News Photographer, Chief Librarian, Chief Index Assistant, Chief Calligraphist, Chief Artist, Principal Correspondent in State capitals accredited to the State Government. Correspondent accredited to the Central Government other than a special Correspondent and other sectional or batch head, not placed in a higher category.

Group 2A— Deputy Chief Sub-Editor or Senior Sub-Editor, Deputy Chief Reporter or Senior Reporter, Senior Correspondent, Senior calligraphist, Senior Artist, Senior Librarian, Senior Index Assistant and Senior Reference Assistant.

Group 3— Sub-Editor, Reporter, Correspondent, News Photographer, Artist, Calligraphist including Katibs, Librarian, Index Assistant chief Proof Reader.

Group 3A—Proof Reader including Advertisement Proof Reader and Planner.

Group 4—All working Journalist other than those mentioned under any other group unless placed higher by the establishment:

Note :

(1) Any newspaper employee employed with any designation different from those enumerated in the schedules, but doing the same or similar job, or same or similar nature of job. of any group in the schedule, shall be deemed to be a working journalist in that group.

(2) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of newspaper establishments.

THE SECOND SCHEDULE (Functional Definitions) (See para 8)

Group 1

"Editor" means a person who directs and supervises the editorial side of a newspaper.

Group 1A

"Executive Editor" means a person who assists in the editorial and production functions of a newspaper, whether or not he supervises the work of Resident Editor, Assistant Editor, etc.

"Resident Editor" means a person who performs the functions of an Editor of a Newspaper at a centre other than the one from which the newspaper was originally published.

"Associate Editor" or "Joint Editor" or "Deputy Editor" means a person who generally assists the Editor in the performance of the work of the Editor.

Group IB

"Assistant Editor" means a person who regularly assists the Editor in the discharge of his duties generally in relation to the comments and opinions and writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"Leader Writer" means a person who regularly writes leaders and may also write other copy involving review, comment or criticism.

"News Editor" means a person who co-ordinates and supervises the work of the news department and is responsible for the news content of all the editions of a newspaper.

"Chief of News Bureau" means a person who supervises the work of the news bureau and assigns work to the Bureau members.

"Special Correspondent" means a person whose duties regularly include reporting and interpreting all news of Parliamentary, political and general importance as an accredited, correspondent or otherwise at the headquarters of the Central Government or at a foreign centre or who regularly performs similar functions in more than one State or at any other place where he is assigned as such.

Group 2

"Deputy or Assistant News Editor" means a person who assists the news editor in the discharge of his duties generally and/or is incharge of bringing out the city edition.

"Chief Reporter" means a person who is incharge of all reporters at a centre of publication, supervises their work and also regularly reports and interprets all news of legislative, political or general importance

"Chief Sub-Editor" means a person who takes charge of a shift at the news desk, allocates and supervises the work of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of news in the paper or in a particular edition or part of it.

"Sports Editors" means a person incharge of the sports section of a newspaper, deals with news and views on sports and allied activities, allocates and supervises the work of one or more reporters and of one or more sub-editors and is generally responsible for the determination of news space and the general display of sports news.

"Commercial Editor" means a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.

"Film editor" means a person who deals with news and views bearing on films and stage and is incharge of specified column or page on stage and screen and supervises the work of one or more working journalists.

"Magazine Editor" means a person who deals with news and views bearing on literary or entertainment items of relevant news and thoughts and other connected subjects of literature is incharge of specified columns or pages and two or more working journalists who supervises their work.

"Cartoonist" means a person who comments upon news and events through cartoons and caricatures.

"Chief of Statistical or Research Division" means a person incharge of Statistical or Research Division which deals with matters bearing on commerce, finance, trade and industry in a financial paper and supervises the work of one or more working journalists.

"Chief News Photographer" means a person who allocates and supervises the work of one or more, news photographers.

"Chief Librarian" or "Chief Index Assistant" or "Chief Calligraphists" or "Chief Artist" means a person who supervises the work of one or more Librarians, Index Assistants, Calligraphist and Artists respectively.

"Principal Correspondent" is a Correspondent who is accredited to the State Government and Correspondent is a person accredited to the Central Government other than special Correspondent and other sectional or batch heads.

Group 2A

"Deputy Chief Sub-Editor" or "Senior Sub-Editor" means a person who regularly assists the Chief Sub-Editor in the discharge of his duties and acts in his place in his absence.

"Deputy Chief Reporter" or "Senior Reporter" means a person who assists the Chief Reporter and acts in his place in his absence.

"Senior Correspondent" means a person other than special and principal correspondent and his duties include the reporting on important news at any important centre other than the centre of publication and has put in service of not less than five years.

"Senior Calligraphist" or "Senior Artist" or "Senior Librarian" or "Senior Index Assistant" or "Senior Reference Assistant" means a person who assists the Chief Calligraphist or Chief Artist or Chief Librarian or Chief Index Assistant, as the case may be, and has put in service of not less than five years.

Group 3

"Sub-Editor" means a person who receives, selects, shortens, summarises, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and may do some or all of these functions.

"Reporter" means a person who gathers and presents news at a particular centre.

"Correspondent" means a person who gathers and despatches by wire, post or any other means, news from any centre other than the centre of publication.

"News Photographer" means a person who covers news events of public interest through photographs.

"Artist" means a person who prepares for publication drawing, layouts, maps, graphs or other similar embellishments, illustrations of any kind or of creative art. He may do some or all of these functions.

"Calligraphist" means an artists who performs journalistic work and also calligraphs matters.

"Librarian" or "Index Assistant" means a person who prepares and maintains records, relating to news and views which are used as background or fill out for current stories Persons not performing any of these functions shall not be covered

"Chief Proof Reader" means one who allocates and supervises the work of one or more proof readers and is incharge of a shift.

Group 3A

"Proof Reader" means a person who checks up printed matter or proof with Editor's copy to ensure strict conformity of the former with the latter. Factual discrepancies, slips of spelling mistakes of grammer and syntax may also be discovered by him and he either corrects or gets them corrected.

"Planner" means a person who assists in the job of photo editing, colour editing and shadow editing to highlight any news matter given by the Editor.

THE THIRD SCHEDULE **(Grouping of Non-Journalist Employees in Administrative Staff Classes IB to IX)** **[See para 8(2)]**

Group 1— General Manager, Manager and Secretary.

Group 2— Departmental Manager (those who are incharge of Circulation, Advertisement Department, Personnel etc.), Chief Accountant (Accountant), Electronic Engineer, P.R.Os (Classes I. II. III. IV and V newspaper establishment).

Group 2A— Liaison Officer, Accounts Officer, Chief Internal Auditor, Assistant Advertisement Manager, Assistant Circulation Manager and Personnel Officer.

Group 3— Sectional Head (Supervising work of 5 clerks), Business Canvasser, Sales Representative, Head Clerk, Programmer, Computer Programmer, Personal Assistant, (Steno-Secretary), Assistant Accountant, Advertisement Representative.

Note : The recommendations in this part shall not apply to employees other than Non-Journalist Newspaper Employees as defined in the Act though included in the above 4 groups.

Group 4— Stenographer, Assistant, Accounts Clerk, Card Punching Operator, EDP Operator, Electronic DATA Processor, Watch and Ward Inspector, Cashier, Circulation Inspector/Representative, Advertisement Translator, Senior Clerk (i.e. those whose work involves special skills), Operators of Accounting machines/Calculating machines and Teleprinter, Field Organiser and those doing audit, Bureau of Circulation, Nurse (Male and Female), Artist (Commercial and Process).

Group 5— Junior Clerk (i.e. those doing normal clerical work including acceptance of advertisement and sale of publications), Time Keeper, Typist, Telephone Operator, Addressographer, Receptionist, Franking Machine Operator, Canteen Supervisor, Junior Artist (Commercial and Process), Fireman-cum-Security man.

Group 6 - Bill Collector, Security Guard, Daftry or those doing Semi-clerical work, Zerox Operator, Watchman and Delivery peon

Group 7— Peon-cum-Messenger, Peon, Sweeper Bearer, Cleaner, Call-boy, Canteen-boy, Water-boy, Mali, Tailor, Orderly, Durwan, Masalchi.

Note :

- (1) Any newspaper employee employed with any designation different from those enumerated in the schedules, but doing the same or similar job, or same or similar nature of job, of any group in the schedule shall be deemed to be a non-journalist in that group.
- (2) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of newspaper establishments.
- (3) Categorization of missing category of employment, if any, should be mutually decided by the employees and the management through bilateral agreements.

THE FOURTH SCHEDULE
(Grouping of Factory Staff)
[See para 8(3)]

Group I— A and B Grade Supervisor, Camera, Operator (Process and Offset), Colour Retoucher/ Offset Retoucher/ Negative Retoucher, Colour Separation Scanner, Computer Operator, Display Advertisement Operator, Offset Printing Foreman, Offset Printer, Offset Rotary Mechanic, PTS Controller, PTS Engineer, Photo Type Setting Operator, Scanner/Scanner Operator, Senior Cameraman, Supervisor (Photo Composing), Senior VDT Operator/VDT Operator, Terminal Operator.

Group IA— Air Condition Plant Mechanic, Armature Winder, Auto Cameraman. Bromide Paster, Cameraman (Offset), Cameraman, Chief Press Advertising Assistant, Colour Etcher, Colour Paster, Electronic Key Board Operator/Key Board Operator, Film Impositor, Film Paster, Foreman, Junior VDT Operator, Katibs. Lino Mechanic, Lino Operator, Line Paster, Micro Film Technician, Micro Film Units Assistant, Mono Mechanic, Mono Operator, Motor Mechanic, Nylo Plate Maker, Offset Machineman, Offset Mechanic, Offset Engineer, Offset Plate Maker, Page Makeup man (Photo Setting) Pasteup Man/Pasteman/Paster/Pasteup Artist, Photograpser (Process), Plate Maker (Colour), Press Advertising Assistant, Printer, (Foreman Composing Supervisor), Process Developer, Printer (Offset, Photo Composing A and B Grade, Composing), P.T.S Mechanic, P.T.S. Senior Key Board Operator, Reprophotographer, Rotary Mechanic, Senior Impositor, Senior Mechanic, Senior Paster, Senior Printer, Senior Retoucher, Supervisor, Supervisor (Composing weekly job and other sections), T.T.S. Operator.

Group 2— APL Operator, Assistant Camera Operator, Assistant Colour Printer, Assistant Plate Maker (Colour), Assistant Layout-man, Assistant Foreman, Assistant Printer, Block-room Assistant, Block-room man, Bromide Developer (PTS Developer), Camera Operator, Colour Printer, Contact Operator/Contact Printing Operator, Conveyor Striket Machineman, Corrector, Deputy Foreman (Gullotine), Engraver, Enlarger Operator, Filing Assistant, Flongman. Graining Machineman, Half tone Etcher, Headingman, Imposer, Impositor, Joiner, Junior Lino Mechanic, Junior Printer, Ludlow Operator, Make-up man, Offset Plate Maker, Pageman, Assistant Paster, Metal Printer, Operator Colour (Highly skilled) Photogravure Machineman, Photo Lettering Machine Operator, Process Assistant, Process Printer, Proofing Machine-man (Offset), P.T.S Key Board Operator, Retoucher, Reclstar Machineman, Rotary machine Headman, Rotary Mechanism (General), Rotary Machnieman Sarang, Senior Machineman, Stereo Blockman, Stereo Caster, Stereo Castingman, Stereo Casting Headman, Stereo Fireman, Stereo Mouldingman, Stonehand, Junior Mechanic, 202 Processor.

Group 3— Air Condition Plant Cleaner, Assistant Mukadam, Assistant Printing Machineman (All categories), Caster Carpenter, Charge Hand (Palatia), Chipper or Router, Colour Work Proofing Pressman, Copy Holder, Cutter, Bycle Mistry, Dark Room Assistant, Driver. El-Rod Operator, Electrician, Fitter, Hammerman, Hand Compositor, Hand Pressman, Junior Machineman, Machineman (except Rotary Machineman), Machineman (other than printing), Mangleman, Mason. Metal Caster, Mistry, Monocaster, Moulder, News Daftary, Offset-Inla-man, Operator (Black and White), Painter. Pasteup man in art department, Plate Maker (Black and White), Plumber, Presensitised Plate Maker, R.C. or Film Processor Operator, Roller Maker, Rotary Mukadam, Ruling Machineman, Senior Chargehand, Sign Writer, Store Mukadam, Turner, Wireman, Welder, Stereoman.

Group 4— Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Machineman, Assistant Turner, Assistant Welder (all with 5 years service), Blacksmith, Cook, Cutting Machineman, Df. Pressman, Distributor, Treadleman, Lineetcher.

Group 5— Baller Mukadam. Barman, Binder, Case Room Cleaner, Colour-work Examiner, Counter, Daftary, Dhobi, Feeder, Fly-boy, Gally Pressman, Havildar, Headpeon, Interlay Cutter, Jamadar, Knife Sharpner, Lead Melter, Liftman Lino Cleaner, Lock-up man, Mounter, Mono-Cleaner, Numberer, Packer, Paperman, Plate Grinder, Proof Puller, Reel Minder, Roller man. Semi-skilled Baller, Store-pape counter, Stitcher, Wheeler (Rotary Cleaner), All other semi-skilled attendants, Cleaners and helpers by whatever name they are called.

Group 6— Baller, Binding boy, Mazdoor, Reel Loader and Unloader, Trolleyman, Proof Messenger,

Note:

- (1) Any newspaper employee employed with any designation different from those enumerated in the schedules, but doing the same or similar job. or same or similar nature of job of any group in the schedule shall be deemed to be a non-journalist in that group.
- (2) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of newspaper establishments.
- (3) Categorisation of missing category of employment, if any, should be mutually decided by the employee and the management through bilateral agreements.

***Table I**
NEWSPAPER ESTABLISHMENTS
WORKING JOURNALISTS

Class of Establishment	Group of Employees	Scales	Years
(1)	(2)	(3)	(4)
(Rs. 600 crore and above) IB	1	No Scale	
	1A	Rs. 10540-580-14600-805-20235-910-25695 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 9690-535-13435-740-18615-840-23655 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 8945-490-12375-680-17135-940-22775 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 7115-390-9845-540-13625-750-18125 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 6440-355-8925-490-12355-680-16435 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 5765-315-7970-440-11050-610-14710 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4995-275-6920-380-9580-525-12730 (7) (7) (6)	20
(Rs. 225 crore and above but less than Rs. 600 crore) IA	1	No Scale	
	1A	Rs. 10210-460-13430-605-17665-620-21385 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 9400-425-12375-555-16260-570-19680 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 8685-390-11415-515-15020-675-19070 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 6905-310-9075-410-11945-540-15185 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 6250-280-8210-370-10800-485-13710 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 5610-250-7360-330-9670-435-12280 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4860-220-6400-290-8430-380-10710 (7) (7) (6)	20
(Rs. 75 crore and above but less than Rs. 225 crore) I	1	No Scale	
	1A	Rs. 9630-435-12675-570-16665-585-20175 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 8795-395-11560-520-15200-530-18380	20

		(7) (7) (6)	
	2	Rs. 8125-365-10680-480-14040-630-17820 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 6425-290-8455-380-11115-500-14115 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5905-265-7760-350-10210-460-12970 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 5315-240-6995-315-9200-415-11690 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4530-205-5965-270-7855-355-9985 (7) (7) (6)	20
(Rs. 25 crore and above but less than Rs. 75 crore) II	1	No Scale	
	1A	Rs. 9335-325-11610-405-14445-360-16605 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 8415-295-10480-365-13035-325-14985 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 7760-270-9650-340-12030-300-13830 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 6085-215-7590-265-9445-330-11425 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5695-200-7095-250-8845-310-10705 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 5015-175-6240-220-7780-270-9400 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4350-150-5400-190-6730-235-8140 (7) (7) (6)	20
(Rs. 11 crore and above but less than Rs. 25 crore) III	1	No Scale	
	1A	Rs. 8965-315-11170-390-13900-350-16000 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 7940-280-9900-345-12315-310-14175 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 7465-260-9285-325-11560-290-13300 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 5885-205-7320-255-9105-320-11025 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5535-195-6900-240-8580-300-10380 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 4755-165-5910-205-7345-255-8875 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4235-150-5285-185-6580-230-7960 (7) (7) (6)	20
(Rs. 5.50 crore and above but less than Rs. 11 crore) IV	1	No Scale	
	1A	Rs. 8535-255-10320-260-12140-305-13970 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 7315-220-8855-265-10710-270-12330 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 6845-205-8280-250-10030-250-11530	20

		(7) (7) (6)	
	2A	Rs. 5470-165-6625-200-8025-240-9465 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5305-160-6425-195-7790-235-9200 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 4395-130-5305-160-6425-195-7595 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4075-120-4915-145-5930-180-7010 (7) (7) (6)	20
(Rs. 2.50 crore and above but less than Rs. 5.50 crore) V	1	No Scale	
	1A	Rs. 7540-225-9115-230-10725-270-12345 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 7195-215-8700-220-10240-255-11770 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 6555-195-7920-240-9600-240-11040 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 5265-160-6385-190-7715-230-9095 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5050-150-6100-185-7395-220-8715 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 4170-125-5045-150-6095-185-7205 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3935-120-4775-145-5790-175-6840 (7) (7) (6)	20
(Rs. 1.25 crore and above but less than Rs. 2.50 crore) VI	1	No Scale	
	1A	Rs. 6285-155-7370-145-8385-170-9405 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 6070-150-7120-140-8100-160-9060 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 5460-135-6405-160-7525-150-8425 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 4865-120-5705-145-6720-170-7740 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4505-115-5310-135-6255-155-7185 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 3795-95-4460-110-5230-130-6010 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3620-90-4250-105-4985-125-5735 (7) (7) (6)	20
(Rs. 60 lakh and above but less than Rs 1.25 crore) VII	1	No Scale	
	1A	Rs. 5570-140-6550-130-7460-150-8360 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 5395-135-6340-160-7460-150-8360 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4995-125-5870-145-6885-140-7725 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 4295-105-5030-125-5905-150-6805	20

		(7) (7) (6)	
	3	Rs. 3745-95-4410-110-5180-130-5960 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 3665-90-4295-105-5030-125-5780 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3520-90-4150-105-4885-120-5605 (7) (7) (6)	20
(Rs. 30 lakhs and above but less than Rs. 60 lakhs) VIII	1	No Scale	
	1B	Rs. 5065-125-5940-150-6990-140-7830 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4745-120-5585-140-6565-130-7345 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3550-90-4180-105-4915-125-5665 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 3530-90-4160-105-4895-120-5615 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3315-85-3910-100-4610-115-5300 (7) (7) (6)	20
(Less than Rs. 30 Lakhs) IX	1	No Scale	
	1B	Rs. 4220-85-4815-95-5480-110-6140 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 3915-80-4475-90-5105-100-5705 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3380-70-3870-75-4395-90-4935 (7) (7) (6)	20
	3A	Rs. 3270-65-3725-75-4250-85-4760 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3110-60-3530-70-4020-80-4500 (7) (7) (6)	20

Note.-The rates of increment of journalists shall be at par with the rates of increment for non-journalists having comparable basic pay.

[*substituted vide notification no. S.O. 1125(E) dated 15.12.2000]

Table—II
NEWSPAPER ESTABLISHMENTS
NON-JOURNALIST (ADMINISTRATIVE STAFF)

Class of Establishment	Group of Employees	Scales	Years
1	2	3	4
(Rs. 600 crore and above) IB	1	No Scale	
	2	Rs. 7355-405-10190-560-14110-775-18760 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 6465-355-8950-490-12380-680-16460 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5700-315-7905-435-10950-600-14550 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 5475-300-7575-415-10480-575-13930	20

		(7) (7) (6)	
	5	Rs. 4775-265-6630-365-9185-505-12215 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 4515-250-6265-345-8680-475-11530 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 4260-235-5905-325-8180-450-10880 (7) (7) (6)	20
(Rs. 225 crore and above but less than Rs. 600 crore) IA	1	No Scale	
	2	Rs. 7140-320-9380-420-12320-555-15650 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 6275-280-8235-370-10825-485-13735 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5545-250-7295-330-9605-430-12185 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 5330-240-7010-315-9215-415-11705 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4645-210-6115-275-8040-360-10200 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 4395-200-5795-260-7615-345-9685 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 4156-185-5450-245-7165-320-9085 (7) (7) (6)	20
(Rs. 75 crore and above but less than Rs. 225 crore) I	1	No Scale	
	2	Rs. 6690-300-8790-395-11555-520-14675 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 5935-265-7790-350-10240-460-13000 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 5250-235-6895-310-9065-410-11525 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4990-225-6565-295-8630-390-10970 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4390-200-5790-260-7610-345-9680 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 4180-190-5510-250-7260-325-9210 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 3960-180-5220-235-6865-310-8725 (7) (7) (6)	20
(Rs. 25 crore and above but less than Rs. 75 crore) II	1	No Scale	
	2	Rs. 6360-225-7935-280-9895-345-11965 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 5720-200-7120-250-8870-310-10730 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4975-175-6200-215-7705-270-9325 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4755-165-5910-205-7345-255-8875 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4255-150-5305-185-6600-230-7980	20

		(7) (7) (6)	
	6	Rs. 4050-140-5030-175-6255-220-7575 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 3850-135-4795-170-5985-210-7245 (7) (7) (6)	20
(Rs. 11 crore and above but less than Rs. 25 crore) III	1	No Scale	
	2	Rs. 6100-215-7605-265-9460-330-11440 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 5550-195-6915-240-8595-300-10395 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4755-165-5910-205-7345-255-8875 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4550-160-5670-200-7070-250-8570 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4155-145-5170-180-6430-225-7780 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3950-140-4930-175-6155-215-7445 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 3760-130-4670-165-5825-205-7055 (7) (7) (6)	20
(Rs. 5.50 crore and above but less than Rs. 11 crore) IV	1	No Scale	
	2	Rs. 5815-175-7940-210-8510-255-10040 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 5350-160-6470-195-7835-235-9245 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4500-135-5445-165-6600-200-7800 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4335-130-5245-155-6330-190-7470 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4005-120-4845-145-5860-175-6910 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3825-115-4630-140-5610-170-6630 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 3560-105-4295-130-5205-155-6135 (7) (7) (6)	20
(Rs. 2.50 crore and above but less than Rs. 5.50 crore) V	1	No Scale	
	2	Rs. 5075-150-6125-185-7420-225-8770 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 4665-140-5645-170-6835-205-8065 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4305-130-5215-155-6300-190-7440 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4170-125-5045-150-6095-185-7205 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3920-120-4760-145-5775-175-6825 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3865-115-4670-140-5650-170-6670	20

		(7) (7) (6)	
	7	Rs. 3380-100-4080-120-4920-150-5820 (7) (7) (6)	20
(Rs. 1.25 crore and above but less than Rs. 2.50 crore) VI	1	No Scale	
	2	Rs. 4390-110-5160-130-6070-150-6970 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 4195-105-4930-125-5805-145-6675 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3930-100-4630-115-5435-135-6245 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3850-95-4515-115-5320-135-6130 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3600-90-4230-105-4965-125-5715 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3355-85-3950-100-4650-115-5340 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 3055-75-3580-90-4210-105-4840 (7) (7) (6)	20
(Rs. 60 Lakhs and above but less than Rs. 1.25 crore) VII	1	No Scale	
	2	Rs. 4050-100-4750-120-5590-140-6430 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 3960-100-4660-115-5465-135-6275 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3730-95-4395-110-5165-130-5945 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3620-90-4250-105-4985-125-5735 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3380-85-3975-100-4675-115-5365 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3135-80-3695-90-4325-110-4985 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 2905-75-3430-85-4025-100-4625 (7) (7) (6)	20
(Rs. 30 Lakhs and above but less than Rs. 60 Lakhs) VIII	1	No Scale	
	2	Rs. 3915-100-4615-115-5420-135-6230 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3715-95-4380-110-5150-130-5930 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3560-90-4190-105-4925-125-5675 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3110-80-3670-90-4300-110-4960 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 2740-70-3230-80-3790-95-4360 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 2440-60-2860-70-3350-85-3860 (7) (7) (6)	20

(Less than Rs. 30 Lakhs) IX	1	No Scale	
	2	Rs. 3850-75-4375-90-5005-100-5605 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3665-75-4190-85-4785-95-5355 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3355-65-3810-75-4335-85-4845 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 2860-55-3245-65-3700-75-4150 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 2590-50-2940-60-3360-65-3750 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 2290-45-2605-50-2955-60-3315 (7) (7) (6)	20

Table—II
NEWSPAPER ESTABLISHMENTS
NON-JOURNALIST (FACTORY STAFF)

Class of Establishment	Group of Employees	Scales	Years
1	2	3	4
(Rs. 600 crore and above) IB	1	Rs. 5700-315-7905-435-10950-600-14550 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 5475-300-7575-415-10480-575-13930 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 5010-275-6935-380-9595-530-12775 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4830-265-6685-370-9275-510-12335 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4660-255-6445-355-8930-490-11870 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4480-245-6195-340-8575-470-11395 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 4260-235-5905-325-8180-450-10880 (7) (7) (6)	20
(Rs. 225 crore and above but less than Rs. 600 crore) IA	1	Rs. 5545-250-7295-330-9605-430-12185 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 5330-240-7010-315-9215-415-11705 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4875-220-6415-290-8445-380-10725 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4700-210-6170-280-8130-365-10320 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4535-205-5970-270-7860-355-9990 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4365-195-5730-260-7550-340-9590 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 4155-185-5450-245-7165-320-9085 (7) (7) (6)	20

(Rs. 75 crore and above but less than Rs. 225 crore) I	1	Rs. 5250-235-6895-310-9065-410-11525 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 4990-225-6565-295-8630-390-10970 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4570-205-6005-270-7895-355-10025 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4420-200-5820-260-7640-345-9710 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4320-195-5685-255-7470-335-9480 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4150-185-5445-245-7160-320-9080 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3960-180-5220-235-6865-310-8725 (7) (7) (6)	20
(Rs. 25 crore and above but less than Rs. 75 crore) II	1	Rs. 5015-175-6240-220-7780-270-9400 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 4755-165-5910-205-7345-255-8875 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4385-155-5470-190-6800-240-8240 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4280-150-5330-185-6625-230-8005 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4195-145-5210-180-6470-225-7820 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 4020-140-5000-175-6225-220-7545 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3850-135-4795-170-5985-210-7245 (7) (7) (6)	20
(Rs. 11 crore and above but less than Rs. 25 crore) III	1	Rs. 4755-165-5910-205-7345-255-8875 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 4550-160-5670-200-7070-250-8570 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4280-150-5330-185-6625-230-8005 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 4190-145-5205-180-6465-225-7815 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 4080-145-5095-180-6355-220-7675 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3910-135-4855-170-6045-210-7305 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3760-130-4670-165-5825-205-7055 (7) (7) (6)	20
(Rs. 5.50 crore and above but less than Rs. 11 crore) IV	1	Rs. 4535-135-5480-165-6635-200-7835 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 4335-130-5245-155-6330-190-7470 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4140-125-5015-150-6065-180-7145	20

		(7) (7) (6)	
	3	Rs. 4050-120-4890-145-5905-175-6955 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3960-120-4800-145-5815-175-6865 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3825-115-4630-140-5610-170-6630 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3560-105-4295-130-5205-155-6135 (7) (7) (6)	20
(Rs. 2.50 crore and above but less than Rs. 5.50 crore) V	1	Rs. 4280-130-5190-155-6275-190-7415 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 4170-125-5045-150-6095-185-7205 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 4045-120-4885-145-5900-175-6950 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3950-120-4790-145-5805-175-6855 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3860-115-4665-140-5645-170-6665 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3670-110-4440-135-5385-160-6345 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3380-100-4080-120-4920-150-5820 (7) (7) (6)	20
(Rs. 1.25 crore and above but less than Rs. 2.50 crore) VI	1	Rs. 3950-100-4650-115-5455-135-6265 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 3850-95-4515-115-5320-135-6130 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 3750-95-4415-110-5185-130-5965 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3665-90-4295-105-5030-125-5780 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3585-90-4215-105-4950-125-5700 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 3355-85-3950-100-4650-115-5340 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 3055-75-3580-90-4210-105-4840 (7) (7) (6)	20
(Rs. 60 lakhs and above but less than Rs. 1.25 crore) VII	1	Rs. 3750-95-4415-110-5185-130-5965 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 3665-90-4295-105-5030-125-5780 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 3570-90-4200-105-4935-125-5685 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3505-90-4135-105-4870-120-5590 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 3355-85-3950-100-4650-115-5340 (7) (7) (6)	20

	5	Rs. 3110-80-3670-90-4300-110-4960 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 2905-75-3430-85-4025-100-4625 (7) (7) (6)	20
(Rs. 30 lakhs and above but less than Rs. 60 crore) VIII	1	Rs. 3450-85-4045-100-4745-120-5465 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 3285-80-3845-95-4510-115-5200 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 3135-80-3695-90-4325-110-4985 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 3010-75-3535-90-4165-105-4795 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 2860-70-3350-85-3945-100-4545 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 2615-65-3070-75-3595-90-4135 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 2440-60-2860-70-3350-85-3860 (7) (7) (6)	20
(Less than Rs. 30 Lakhs) IX	1	Rs. 3325-65-3780-75-4305-85-4815 (7) (7) (6)	20
	1A	Rs. 3175-65-3630-75-4155-85-4665 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 3025-60-3445-70-3935-80-4415 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 2905-60-3325-65-3780-75-4230 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 2740-55-3125-65-3580-70-4000 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 2490-50-2840-55-3225-65-3615 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 2290-45-2605-50-2955-60-3315 (7) (7) (6)	20

Table III
(See para 12)
Dearness Allowance

Basic pay slabs over	Rate of neutralization for determining Dearness Allowance payable over quarterly Regional Consumer Price Index Number.
1. Upto Rs. 5000	100% of basic pay.
2. Between Rs. 5001 and Rs. 7000.	80% of basic pay or 100% of Rs. 5000, whichever is higher
3. Between Rs. 7001 and Rs. 9500.	60% of basic pay or 80% of Rs. 7000, whichever is higher.
4. Between Rs. 9501 and Rs. 12500.	45% of basic pay or 60% of Rs. 9500, whichever is higher.

5. Above Rs. 12500.	40% of basic pay or 45% of Rs. 12500, whichever is higher.
---------------------	--

Formula for calculating Dearness Allowance:

$$D.A. = \frac{\text{Average regional Index for the Qr. in question} - \text{regional CPI number for the year 1998 (i.e. last Qr. of 1997)}}{\text{regional CPI number for the year 1998 (i.e. last Qr. 1997)}} \times \text{rate of neutralisation} \times \text{Basic pay}$$

TABLE IV
(See para 13)
Rates of House Rent Allowance (Percentage of Basic Pay per month)

Class of Newspaper Est.	ZONES			
	A	B	C	D
	Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai	State Capitals & Cities/Towns with Population above 20 lakhs	Cities/Towns with Population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with Population less than 10 lakhs
IB	30%	25%	20%	18%
IA	25%	20%	18%	18%
I	17%	15%	12%	9%
II	15%	13%	10%	8%
III	14%	11%	8%	7%
IV	13%	9%	7%	5%
V	12%	7%	5%	5%
VI	Rs. 150	Rs. 125	Rs. 100	Rs. 100
VII	Rs. 150	Rs. 125	Rs. 100	Rs. 100
VIII	Rs. 150	Rs. 125	Rs. 100	Rs. 100
IX	Rs. 150	Rs. 125	Rs. 100	Rs. 100

Note:—The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 4500 per month for any group of employees under any class of newspaper establishments in any zone.

TABLE V
(See para 14)
Rates of City Compensatory Allowance per month

Class	ZONES			
	A	B	C	D
	Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai	State Capitals & Cities/Towns with Population above 20 lakhs	Cities/Towns with Population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with Population less than 10 lakhs
	(Amount of Rupees)	(Amount of Rupees)	(Amount of Rupees)	(Amount of Rupees)
IB	260	200	140	110
IA	240	180	120	90

I	200	140	90	70
II	180	130	80	60
III	160	120	70	50
IV	140	100	60	40
V	120	80	50	30
VI	60	50	40	30
VII	60	50	40	30
VIII	60	50	40	30
IX	60	50	40	30

TABLE VI
(See para 15)
RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Class of Newspaper Establishment	Rates per Night Shift
IB	Rs. 40
IA	Rs. 30
I	Rs. 30
II	Rs. 25
III	Rs. 25
IV	Rs. 20
V	Rs. 20
VI	Rs. 15
VII	Rs. 15
VIII	Rs. 10
IX	Rs. 5

Note:—The rates would be higher by 38% for night shift duty performed in excess of 15 nights in a month.

TABLE VII
(See para 17)
Leave Travel Allowance

Class	Rates of Leave Travel Allowance
IB, IA & I	One month's basic pay at the minimum of the scale of pay.
II to IV	Three weeks' basic pay at the minimum of the scale of pay.
V	Fifteen days' basic pay at the minimum of the scale of pay.

- Notes:**— 1. LTA would be admissible once in a block of two years.
2. Grant of LTA is subject to availing of leave and production of necessary documents in proof of journey actually undertaken.

TABLE VIII
(See para 18)
Medical Allowance

Class	Medical Allowance
IB & IA	Rs. 500/- per month per employee
I & II	Rs. 250/- per month per employee
III to V	Rs. 150/- per month per employee

Chapter II
Recommendations of the Wage Board for working journalists and non-journalists newspaper employees in news agencies
Section I
Preliminary

1. **Short title and commencement.**—(1) These recommendations may be called the Manisana (Wage Board) Award.

(2) The Award shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1998.

2. **Definitions.**— In this Award, unless the context otherwise requires,

- (1) “Act” means the working journalist and Other Newspaper Employees (Conditions of Services) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (XLV of 1955);
- (2) “Accounting year” used with reference to a particular year shall in the case of newspaper establishment mean financial year, the year commencing on first day of April. In case, however, the accounting year of an newspaper establishment is different from financial year it shall mean that accounting year of the establishment of which more than half falls in the particular year. In case of the newspaper establishment, whose accounting year starts from the 1st day of October, the accounting year would be that year in which the first six months fall.

Illustration.-- If the accounting year of a newspaper establishment starts from the first day of January, 1998, reference to the accounting year 1998 in this Award shall be construed as reference to accounting year 1998-99. Again, if the accounting year of the newspaper establishment starts from the 1st day of October, reference to accounting year 1998 in this Award will be construed as reference to the accounting year 1998-99 of that establishment.

- (3) “Basic wage” means wages drawn in the prescribed scale of wages, including stagnation increment, if any, but does not include any other type of wages or pay, like special pay, personal pay etc.
- (4) “Category” means any of those newspaper employees mentioned under the groups set out in this Award.
- (5) “Gross revenue of a news agency” means its total revenue from all sources, including subscription revenue derived by selling its services.
- (6) “News agency” means an establishment conducting any news agency or syndicate, that is to say, a news agency is an undertaking of which the principle objective is to gather or collect news and news material and to distribute it to a group of news enterprises and, in exceptional circumstances, to provide individual with a view to providing them with as complete and impartial a news service as possible, against payment with and under condition compatible business laws and usage.
- (7) “Newspaper employee” means working journalist, or non-journalist newspaper employee, or both.
- (8) “Schedule” means a schedule annexed to this Award.
- (9) “Table” means a table annexed to this Award.
- (10) The words and expressions “newspaper establishment”, “working journalist” and “non-journalist newspaper employee” shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Section II
Classification of News Agencies
and
grouping of news agency employees

3. **Classification of news agencies.**—For the fixation or revision of rates of wages of employees in news agencies, news agencies shall be classified based on the average gross revenue of three accounting years 1995-96, 1996-97 and 1997-98.

4 **Continuance of Classification.**—The Classification made under this Chapter, shall continue until news agency is reclassified in accordance with the provisions of para 6 of this Chapter.

5. **Classification of news agency.**—News agencies shall be classified under the following classes on the basis of their gross revenue as per para 3 of this Chapter:

Class	Gross Revenue
I	Rs. 30 crore and above;
II	Rs. 15 crore and above but less than Rs. 30 crore
III	Rs. 5 crore and above but less than Rs. 15 crore.
IV	Less than Rs. 5 crore.

Note:— Foreign news agencies, ie those operating in India with their Principal Office outside India, shall be treated as Class I news agencies.

6. **Reclassification.**—It shall be open either to the employer or to the employee to seek a reclassification of a news agency at any time after one year from the date of the enforcement of the Award on the basis of the average gross revenue or the 3 immediately preceding accounting years:

Provided that such reclassification should not be sought more than once in any period of 3 consecutive accounting years.

7. **Grouping of Newspaper Employees**—(1) Working journalists in the regular cadre in news agency shall be grouped as under the First Schedule; and functional definitions of various categories of working journalists in the news agency are described in the Second Schedule.

(2) Non-journalist news agency employees shall be grouped as under the Third Schedule.

Section III
Revised Scales of Wages
and Allowances

8. **Revised scale of wages for working journalist.**—(1) The revised scale of wages of each group of Working Journalists in different classes of news agency is prescribed in Table I.

(2) Every part-time Correspondent/Photographer shall be paid not less than 40 percent, if he is posted at district headquarters and above and not less than 1/3rd, if he is posted at place below district headquarters, of the basic wage plus dearness allowance applicable to a full-time Correspondent/Photographer at similar level, provided that no part time correspondent/photographer will work for more than two newspaper establishments. In addition, payment shall be paid to him on column basis, the rate of which to be settled by mutual negotiations.

NOTE:—No scales of wages have been prescribed for the employees falling in classes III and IV.

9. **Revised scale of wages for non-journalist.**—(1) The revised scale of wages of each group of Non-journalist news agency employees in different classes of news agency is prescribed in Table II.

(2) Every time-rated employee, that is to say, a person employed to work as time-rate employee (time-work) for either less or more than prescribed working hours and performs the job, or does the duty of a regular employee, shall be paid on pro-rata basis equivalent to the wages of that regular employees on the of number of hours for which he is employed.

NOTE :—No scales of wages have been prescribed for the employees falling in classes III and IV.

10. **Drawal of wages in the revised scales.**—(1) Save as otherwise provided in this Award, a news agency employees shall draw wages in the revised scale applicable to the group to which he belongs.

11. **Dearness Allowance.**—(1) Formula for calculating dearness allowance and rate of neutralization are prescribed in Table III.

(2) Dearness Allowance may be sanctioned as soon as the figures for the quarter for which regional average index is to be used for determining rate of dearness allowance becomes available. Dearness allowance will become payable from the beginning of the quarter immediately succeeding the quarter for which regional average index figures are used for determining rate of dearness allowance.

Provided that where a work place for which CPI number as compiled by Labour Bureau, Shimla, as part of all-India Consumer Price Index for Industrial Worker for a region is not available, the CPI number of the nearest centre should be adopted and where there is no such centre, CPI number of the State capital should be adopted. If, however, there is no regional CPI number in the State capital, the CPI number of any centre in the State, which is the highest, shall be adopted.

(3) The revised rates of dearness allowance shall be paid according to average all-India Consumer Price Index Number (1982=100) for regional centre compiled by Labour Bureau for industrial worker and will become operative from 01-04-98.

Explanation,— For the purpose of this paragraph,—

The Dearness Allowance in respect of the period preceding the date of operation of the Award shall be given at the existing rates (not revised).

12. House rent allowance—House rent allowance prescribed in Table IV shall be paid by News agency to its employees posted in the respective zones:

Provided that —

- (1) where an employee is provided residential accommodation by News agency, no house rent allowance will be payable.
- (2) if an employee is being paid house rent allowance, the same will be adjusted against the amount of house rent allowance payable under this provision.
- (3) where a news agency contributes on behalf on an employee any amount towards a fund to enable the employee to own his residential accommodation, such amount shall be adjusted against house rent allowance payable under this provision.

13. **City compensatory allowance.**— City compensatory allowance as prescribed in Table V shall be paid by News agencies to their employees posted in their respective zones.

14. **Night shift allowance.**—Night shift allowance at the rates prescribed in Table VI shall be paid by the news agencies to their respective employees.

15. **Hardship allowance.**—An employee working in hilly area above 5000 ft. (1524 metres) from the sea level or in a disturbed area shall be paid a lump sum of Rs. 250 per month.

Explanation.—For the purpose of this para, "disturbed area" means disturbed area declared by the appropriate Government, i.e. State Government or Central Government, as the case may be, under the relevant Act.

16. **Leave travel allowance.**—An employee shall be paid leave travel allowance at the rates prescribed in Table VII.

17. **Medical Allowance.**—The employees working in news agencies falling in Classes I and II shall be paid medical allowance prescribed in Table VIII. However, only those employees will be paid who are not covered by the Employees State Insurance Corporation (ESIC).

18. **Fixation of initial wage in the revised scale.**—The initial wage of an employee in the revised scale shall be fixed in the following manner—

- (a) For the new entrant, the wages shall be fixed in the revised scale at the minimum of the scale.
- (b) In the case of employees already working in the news agency, the wages shall be fixed in the revised scale at the stage next above the existing emolument.
- (c) If the minimum of the revised scale is higher than the amount of the emoluments being presently drawn by the employee, the wages shall be fixed at the minimum of the revised scale.
- (d) If the existing emoluments of the employee are higher than minimum of the revised scale, the wages shall be fixed at the next higher stage in the revised scale.
- (e) Every employee shall be given one increment in the revised pay scale for completion of every four years' service in the post held immediately before the date of commencement of the Proposal.

- (f) The service rendered by the concerned employee in any other post carrying a scale in that news agency, the minimum of which is lower by not more than 30% of the minimum of the scale in which the employee worked shall also be taken into account.
- (g) The total number of increments shall not be more than three.
- (h) No employee shall get more than the maximum of the revised pay scale.
- (i) The revised pay scales shall become applicable to all employee with effect from the date of operation.

However, if an employee within three weeks from the date of publication of Government Notification, under section 12 of the Act enforcing these recommendations, opts for retaining his existing pay scale and "existing emolument" he shall be entitled to retain his existing scale and such emoluments.

Explanation:

- (1) The "existing emoluments" of an employee shall mean his basic pay, variable dearness allowance at the Consumer Price Index Number 1813 (base 1960=100) and interim relief, if any, as on 1st January 1998.
- (2) The "additional emoluments" of an employee shall mean emoluments other than the "existing emoluments" described in clause (1) granted by newspaper establishments (news agency), as a result of collective bargaining, agreement or award, as increase in basic wage, dearness allowance or interim relief.
- (3) The "additional allowances" of an employee shall mean any monthly payments, by whatever name called, not related to a specific purpose nor agreed to be adjusted against any revision of pay or dearness allowance.

19. Mode of payments of arrears.—The arrears payable from the date of enforcement of the Award, if any, as a result of retrospective operation, should be paid within thirty months from the date of enforcement of the Award in three equal 10 monthly installments.

20. Date of operation of Allowances.—Except as otherwise provided in the Award, to the contrary, the CCA, HRA and Hardship allowances prescribed in the Award shall be effective from 01-06-99.

Other allowance shall be effective from date of notification of this Award.

THE FIRST SCHEDULE

(grouping of working journalists in news agency)

Group 1 (Special)—Chief Editor, Deputy Chief Editor.

Group 1—Editor, Chief Producer (T. V.), Chief of Divisional Bureau.

Group 1A—Chief News Editor, Feature Editor, Economic Editor, Science Editor, Commercial Editor, Photo Editor, Regional Manager, Chief of Bureau (Capital), Special Correspondent on selective basis.

Group IB—Special Correspondent/Principal Correspondent, Foreign Correspondent, News Editor, Chief Reporter, Chief Photographer, Chief of State Bureau, Producer (T. V.), Manager Stock Exchange Services, Manager News Exchange Special Correspondent (T. V.), Manager State Capital Bureau.

Group 2—Chief Sub-Editor, Senior Correspondent, Chief Librarian.

Group 2A—Senior sub-Editor, Senior Librarian, Senior Reporter, Senior Photographer, Asstt. Producer-cum-Reporter (T. V.)

Group 3—Sub-Editor, Correspondent, Reporter, Photographer and T. V. Reporter, Librarian.

Note : (1) Any newspaper employee in news agency employed with any designation different from those enumerated in the schedule, but doing the same or similar job, or same or similar nature of job, of any group in the schedule, shall be deemed to be a working journalist in that group.

(2) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of news agency.

THE SECOND SCHEDULE

(functional definitions)

1. 'Chief Editor' means a person who is in overall charge of a News Agency.
2. 'Deputy Chief Editor' means a person who assists the Chief Editor in the discharge of his duties and acts for him during his absence.
3. 'Editor' means a person who directs and supervises the work of the editorial side of the News Agency.

4. 'Chief of Divisional Bureau' means a person who is incharge of the central news desk of the entire News Agency and who supervise, guides and direct news services in metropolitan centres, i.e. Delhi, Calcutta, Bombay and Madras.
5. 'Chief News Editor' means a person who assists the Deputy Chief Editor in the discharge of his duties, and coordinates news activities.
6. 'Feature Editor' means a person who deals with features and is incharge of bringing out the Features Service of the news agency.
7. 'Economic Editor' means a person who is incharge of bringing out the economic service of the news agency.
8. 'Science Editor' means a person who deals with specialised news relating to science and technology, and is incharge of bringing out the Science service of the news agency.
9. 'Commercial Editor' means a person who deals with news and views bearing on commerce, finance, trade and industry, and comments on them and allocates and supervises the work of one or more reporters.
10. 'Photo Editor' means incharge of operating the photo service of the news agency and co-ordination of the service.
11. 'Special Correspondent' means a person who is accredited to the Union Government and whose regular duties are to report news of Parliamentary, political or general importance of a person in a metropolitan centre who specialises in covering news of economic importance or national or international nature.
12. 'Principal Correspondent' means a correspondent in state capitals accredited to State Governments.
13. 'Foreign Correspondent' means a person stationed abroad for news coverage from the country or part of the country to which he is assigned,
14. 'News Editor' means a person who is incharge of a news dock or regional news at a metropolitan centre and who supervises, directs and guide the different news services.
15. 'Chief Reporter' means a person in a metropolitan centre who is incharge of all reporters in that centre and reports all news legislative, political or general importance.
16. 'Chief Photographer' means a person who allocates and supervises the work of photographers.
17. 'Chief of State Bureau' means a person who guides and directs collection of news of all types in a State Capital,
18. 'Chief Sub-Editor' means a person in the metropolitan centre who regularly takes charge of a shift on the editorial desk, assigns and supervises the work of Sub-Editors.
19. 'Senior Correspondent' means a person in the metropolitan centre whose regular duties are to report news, of Parliamentary, Political or general importance or a person regularly assigned to cover news of economic and commercial importance, Courts and national sports.
20. 'Senior Sub-Editor' means a person in the metropolitan centre who is regularly assigned to take charge of a shift other than the main shifts on the editorial desk or whose regular duties includes preparation of news despatches for special subscribers.
21. 'Senior Reporter' means a person whose regular duties include reporting of State Government news or proceedings of State Legislature.
22. 'Senior Photographer' means a person who covers major assignments of public interest and who is a person with some experience and acts in the absence of chief photographer.
23. 'Sub-Editor' means a person who receives, selects, shortens, summarises, elaborates, translates, edits and headlines news items of all descriptions and he may do some or all the functions.
24. 'Correspondent' means a person who gathers and despatches by wire, posts or any other means, news from any centre.
25. 'Reporter' means a person who gathers and present the news of a particular centre.
26. 'Photographer' means a person who covers news events of public interest through photographs.
27. 'T. V. Reporter' means a person who gathers and presents news for television wing at a particular centre.
28. 'Chief producer (T. V.)' means a person in overall charge of the TV service, of PTI.
29. 'Regional Manager' means a person who is incharge of news and other services of the news agency in the western/northern/eastern/southern regions of the country.

30. 'Special Correspondent' on selective basis means a special correspondent who is placed in a higher class on account of discharge of duties of higher work-load and responsibility.
31. 'Manager of Stock Exchange Services' means a person who coordinates the Stock Exchange information and stockscan service reports.
32. 'Producer TV' means a person incharge of respective areas of programming (economy, current affairs, education, news).
33. 'Special Correspondent (TV)' means a person incharge of reporting for news and current affairs and also presentation as far as possible.
34. 'Manager under the State Bureau Capital' means a person who guides and directs collection of news of all types in a state capital.
35. 'Assistant Producer-cum-Reporter' means a person who assists in production as well as helps in reporting events for the T. V. service, including research and reporting.
36. 'Manager of Exchange' means a person who coordinates the news Agencies Exchange Programme with other Agencies.
37. 'Librarian' means a person who prepares and maintains records relating to news and views which are used as background or fill out for News stories.

- NOTE : (1) These job definitions are subject to the Boards' decision to be taken after considering the reports of sub-committees constituted by the Boards on 29-07-99.
- (2) Any newspaper employee of news agency employed with any designation different from those enumerated in the schedule, but doing the same or similar job, or same or similar nature of job, of any group in the schedule, shall be deemed to be a working journalist in that group.

THE THIRD SCHEDULE

(grouping of non-journalist employees in news agencies)

Group 1 :

- (a) Chief of Administration, Financial Controller-cum-Secretary.
- (b) Chief Engineer, Accounts Manager, Manager (personnel), Accounts Officer, Manager (Promotion and Development), Manager (Technical Co-ordination), Personnel Officer, Chief Accountant, Company Secretary.
- (c) Deputy Chief Engineer, Internal Auditor and equivalent administrative posts

Group 2 :

Regional Engineer, Regional Transmission Incharge, Administrative Officer and equivalent post, Video Editor, Engineer (T.V.), Sound Recordist, Cameraman, Electronic Engineer (R & D), Cashier, Sr. Traffic Supervisor, Sr. Commercial Supervisor.

Group 3:

Transmission Supervisor, Engineer, Caretaker and other equivalent posts, Production Assistant, Traffic Supervisor, Supervisor (Accounts), Lighting Assistant, Commercial Supervisor.

Group 4 :

Senior Commercial Assistant, Senior Operator, Senior Technician, Assistant Stenographer, Junior Engineer, Sr. Traffic Assistant, Sr. Asstt./Steno.

Group 5 :

Clerk, Typist, Technician, Junior Operator, Skilled Workers, Car Driver, Telephone Operator, Junior Traffic Assistant, Junior Commercial Assistant, Junior Assistant (Accounts), Junior Assistant.

Group 6 :

Attender, Machine Attender, Havaldaar, Record Keeper, Gestetner Operator.

Group 7:

Peon, Sweeper, Chowkidar, Mali, Messenger boy,

- NOTE (1) Job description and categorisation of non-journalist employees of news agencies shall be made after considering report of the sub-committee formed in this regard in view of the technological changes in the newspaper industry.
- (2) Any newspaper employee of news agencies employed with any designation different from those enumerated in the schedule, but doing the same or similar job, or same or similar nature of job, of any group in the schedule, shall be deemed to be a non-journalist in that group.
- (3) All categories of employees mentioned in the schedule may or may not exist in every class of news agency.

***Table-I**
NEWS AGENCIES
WORKING JOURNALISTS

Class of Establishment	Group of Employees	Scales	Years
(1)	(2)	(3)	(4)
(Rs. 30 crore and above) I	1	No Scale	
	1A	Rs. 10540-580-14600-805-20235-910-25695 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 9690-535-13435-740-18615-840-23655 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 8945-490-12375-680-17135-940-22775 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 7115-390-9845-540-13625-750-18125 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 6440-355-8925-490-12355-680-16435 (7) (7) (6)	20
(Rs. 15 crore and above but less than Rs. 30 crore) II	1	No Scale	
	1A	Rs. 10210-460-13430-605-17665-620-21385 (7) (7) (6)	20
	1B	Rs. 9400-425-12375-555-16260-570-19680 (7) (7) (6)	20
	2	Rs. 8685-390-11415-515-15020-675-19070 (7) (7) (6)	20
	2A	Rs. 6905-310-9075-410-11945-540-15185 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 6250-280-8210-370-10800-485-13710 (7) (7) (6)	20

Note.- The rates of increment of journalists shall be at par with the rates of increment for non-journalists having comparable basic pay.

[*substituted vide notification no. S.O. 1125(E) dated 15.12.2000]

Table-II
NEWS AGENCY
NON-JOURNALISTS (ADMINISTRATIVE STAFF)

Class of Establishment	Group of Employees	Scales	Years
1	2	3	4
(Rs. 30 crore and above) I	1	No Scale	20
	2	Rs. 7355-405-10190-560-14110-775-18760 (7) (7) (6)	20

	3	Rs. 6465-355-8950-490-12380-680-16460 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 5700-315-7905-435-10950-600-14550 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 5475-300-7575-415-10480-575-13930 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 4775-265-6630-365-9185-505-12215 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 4515-250-6265-345-8690-475-11530 (7) (7) (6)	20
(Rs. 15 crore and above but less than Rs. 50 crore) II	1	No Scale	20
	2	Rs. 7140-320-9380-420-12320-555-15650 (7) (7) (6)	20
	3	Rs. 6275-280-8235-370-10825-485-13735 (7) (7) (6)	20
	4	Rs. 5545-250-7295-330-9605-430-12185 (7) (7) (6)	20
	5	Rs. 5330-240-7010-315-9215-415-11705 (7) (7) (6)	20
	6	Rs. 4645-210-6115-275-8040-360-10200 (7) (7) (6)	20
	7	Rs. 4395-200-5795-260-7615-345-9685 (7) (7) (6)	20

Table III
(see para no. 11)
Dearness Allowance

Basic pay slabs	Rate of neutralization for determining Dearness Allowance payable over quarterly Regional Consumer Price Index Number.
1. Upto Rs. 5000/-	100% of basic pay.
2. Between Rs. 5001/- and Rs. 7000/-	80% of basic pay or 100% of Rs. 5000, whichever is higher
3. Between Rs. 7001/- and Rs. 9500/-	60% of basic pay or 80% of Rs. 7000, whichever is higher.
4. Between Rs. 9501/- and Rs. 12500/-	45% of basic pay or 60% of Rs. 9500, whichever is higher.
5. Above Rs. 12501/-	40% of basic pay or 45% or Rs. 12500, whichever is higher.

Formula for calculating Dearness Allowance:

$$D.A. = \frac{\text{Average regional Index for the Qr.in question} - \text{regional CPI number for the year 1998 (i.e. last Qr. of 1997)}}{\text{regional CPI number for the year 1998 (i.e. last Qr. of 1997)}} \times \text{rate of neutralisation} \times \text{Basic pay}$$

TABLE IV
(see para no. 12)
Rates of House Rent Allowance (Percentage of Basic Pay per month)

Class of Newspaper Establishment	ZONES			
	A	B	C	D
	Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai	State Capitals and Cities/Towns with Population above 20 lakhs	Cities/Towns with Population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with Population less than 10 lakhs
I				
II	30%	25%	20%	18%
	25%	20%	18%	15%

Note:—The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 4500/- per month for any group of employees under any class of news agency in any zone.

TABLE V
(see para no. 13)
RATES OF CITY COMPENSATORY ALLOWANCE PER MONTH

Class	ZONES			
	A	B	C	D
	Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai	State Capitals and Cities/Towns with Population above 20 lakhs	Cities/Towns with Population between 10 to 20 lakhs	Cities/Towns with Population less than 10 lakhs
I	260	200	140	110
II	240	180	120	90

TABLE VI
(see para no. 14)
RATES OF NIGHT SHIFT ALLOWANCE

Class of Newspaper Establishment	Rates per Night Shift
I	Rs. 40/-
II	Rs. 30/-

Note: Rates would be higher by 38% for night shift duty performed in excess of 15 nights in a month.

Table VII
(see para no. 18)
Leave Travel Allowances

Class	Rates of Leave Travel Allowance
I & II	One month's basic pay at the minimum of the scale of pay

- Notes:**—1. LTA would be admissible once in a block of two years.
2. Grant, of LTA is subject to availing of leave and production of necessary documents in proof of journey actually undertaken.

Table VIII
(see para no. 17)
MEDICAL ALLOWANCE

Class	Medical Allowance
I & II	Rs. 500/- per month per employee

[F. No. S-14016/2/2015-WB]

BIJAYANANDA PATTNAIK, Dy. Secy.